इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2016—भाद्र 11, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2016

क्र. ई-5-1025-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14, 15 अगस्त 2016 एवं 20, 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2016

क्र. ई-5-720-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गुलशन बामरा, आयएएस., आयुक्त, जबलपुर संभाग को दिनांक 18 से 23 जुलाई 2016 तक; छ: दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 24 जुलाई 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ॲन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2016

फा. क्र. 17(ई)-35-2010-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, सोलहवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल में विधि सलाहकार के पद पर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016

फा. क्र. 3(ए)6-2016-इक्कीस-ब (एक)-2988.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्द्वारा, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5(1)(ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:—

1. श्री कृष्ण दास मेहर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालाघाट.
2. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल.
3. कु. सरिता बाधवानी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2016

क्र. एफ-5-35-2009-उन्तीस-2.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई 2010 द्वारा श्रीमती संगीता भंडावत को जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्य मनोनीत किया गया था. श्रीमती संगीता भंडावत, ने व्यक्तिगत, कारणों से दिनांक 1 दिसम्बर 2015 को त्यागपत्र प्रेषित कर स्वीकृत करने का अनुरोध किया है.

2. अतः, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती संगीता भंडावत, सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम शाजापुर, मध्यप्रदेश के अशासकीय सदस्य के पद से दिया गया त्यागपत्र दिनांक 1 दिसम्बर 2015 से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्र. एफ 16-09-2015-बी-ग्यारह.—राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वृहद औद्योगिक इकाईयों को अविकसित भूमि आवंटन प्रक्रिया तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के लिये अतिरिक्त समयावधि प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिकाओं में निम्नानुसार संशोधन किया जावे:—

1. कंडिका 8 (ii) में ''उद्योग आयुक्त'' के स्थान पर ''प्रबंध संचालक'' एमपी ट्राईफेक प्रतिस्थापित किया जाता है.
2. कंडिका 11 (i) में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

   अविकसित भूमि हेतु वृहद औद्योगिक इकाई संबंधित प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/ आईआईडीसी, ग्वालियर में एमपी ट्रायफेक की वेबसाईट पर अपलोड या निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन एवं चेकलिस्ट अनुसार अन्य अभिलेख, आवेदन शुल्क की राशि रुपये 10.000 जमा करेगा. संबंधित प्रबंध संचालक, एकेव्हीएन/ आईआईडीसी, ग्वालियर आवेदन का परीक्षण, आवेदित भूमि की मात्रा, प्रचलित प्रब्याजी का 25 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा कराकर भूमि की मात्रा की गणना कर अनुशंसा सहित प्रबंध संचालक, एमपी ट्राईफेक को अग्रेषित करेगा.

3. कंडिका 12 (i) में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

   अविकसित औद्योगिक भूमि हेतु आवेदनों का निराकरण समयक तथ्यों के आधार पर होगा. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पश्चात् आवंटन आदेश जारी करने की स्वीकृति प्रबंध सचालक, एमपी ट्राईफेक द्वारा दी जावेगी. प्रबंध संचालक, एमपी

ट्राईफेक की स्वीकृति पश्चात् आशय पत्र, आवंटन आदेश एवं लीज डीड के निष्पादन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की ओर से संबंधित प्रबंध संचालक, एकेव्हीएन/ आईआईडीसी, ग्वालियर द्वारा किया जावेगा.

4. कंडिका 15 (ii) में ''उद्योग आयुक्त'' के स्थान पर ''प्रबंध संचालक'' एमपी ट्राईफेक प्रतिस्थापित किया जाता है.

5. कंडिका 41 (ii) 1 में ''उद्योग आयुक्त'' के स्थान पर ''प्रबंध संचालक'' एमपी ट्राईफेक प्रतिस्थापित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2016

क्र. 1967-2217-2016-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड का नाम और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रायसेन	रायसेन	कु. रेणू खेस, II CJ-II-& JMFC
2	नीमच	नीमच	श्री पंकज श्रीवास्तव, IV CJ-I-& JMFC

No. 1967-2217-2016-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Raisen	Raisen	Ku. Renu Khes, II CJ-II & JMFC
2	Neemuch	Neemuch	Shri Pankaj Shrivastava, IV CJ-I & JMFC.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-72-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड N-24°0'9.927" से N-24°0'33.402" उत्तर आक्षांश तथा E-77°5'10.831" से E-77°7'12.998" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—राजगढ़, तहसील—ब्यावरा, वनमण्डल—राजगढ़, वनपरिक्षेत्र—ब्यावरा

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बडाबडला	बडाबडला	गैर मुमकिन (राजस्व)	1/5	82.000	**उत्तर**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 19 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 19 से 25 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 25 से 39 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 39 से 41 तक एवं मुनारा क्र. 41 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	82.000	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार—**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/8-02/2014-एफसी, दिनांक 15 सितम्बर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ की स्वीकृत परियोजना कुण्डालिया जलाशय में प्रभावित 275.27 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 275.656 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से (82.00 हे.) उपरोक्त वर्णित भूमि 275.656 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला राजगढ़ के आदेश क्रमांक 12815/6/प्रवाचक-1/2012, दिनांक 3 दिसम्बर 2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार बहोरीबंद, जिला कटनी के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. **सामुदायिक अधिकार.**—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-72-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-72-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-72-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest area specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between to N 24°0'9.927" to N 24°0' 33.402'' north latitude and E 77° 5'10.831" to E 77°7'12.998" east longitude :—

SCHEDULE

District—Rajgarh, Tehsil—Biaora, Forest Division—Rajgarh, Forest Range—Biaora

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Detail of land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Badhbadla	Badhbadla	Non Revenue Land	1/5	82.000	**North**—Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 1 to 19.
				Total	82.000	**East**—Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 19 to 25. **South**—Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 25 to 39. **West**—Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 39 to 41 and Pillar No. 41 to 01.

(A) Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 8-02/2014-FC, dated 15th September 2015 and in lieu of 275.27 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kundaliya Jalashay of EEWRD Narsinghgarh, Distt. Rajgarh the above mentioned Non Forest Land of 275.656 hectare (82.00 Hectare) transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order No. 12815/6/Pravachak-1/2012, dated 3rd December 2012 of Collector, Rajgarh for the purpose of compensatory afforestation.

2. Detail of other Reasons.

(B) The Khasara wise detail of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar, Biaora, District Rajgarh are as under.

1. **Individual Rights**—No individual Rights on the above land.

2. **Community Rights**—No Community Rights on the above land.

THEREFORE, the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त, 2016

क्र. एफ-25-74-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखंड 23°23'31.724" से 23°23'52.429" उत्तर आक्षांश तथा 81°56'47.618" से 81°57'12.761" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—शहडोल, तहसील—जैतपुर, वनमण्डल—दक्षिण वनमण्डल शहडोल, वनपरिक्षेत्र—केशवाही

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कोलमी 212	कोलमी	राजस्व भूमि (लैण्ड बैंक)	478/1क	8.540	**उत्तर**—प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा क्र. 8 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				478/1ख	1.617	
				478/5	0.809	**पूर्व**—प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा क्र. 1 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा.
		खरूर्हा		18/2	9.607	
				योग . .	20.573	**दक्षिण**—प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा क्र. 29 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा.
						पश्चिम—प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा क्र. 14 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा.

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार**—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति अप्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जल संसाधन विभाग उमरिया ने जलाशय वनदेही रकबा 8.213, पटपरिहा रकबा 10.516, घोघरी रकबा 1.287 में प्रभावित 20.016 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 20.573 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.573 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शहडोल के आदेश क्रमांक आरएम/2014/4264 दिनांक 13-6-2014 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, जैतपुर (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक, दिनांक निरंक द्वारा अभिलिखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है.

2. **सामुदायिक अधिकार.**—कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-74-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-74-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-74-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23°23'31.724" to 23°23'52.429" north Latitude and 81°56'47.618" to 81°57"12.761" east longitude :—

SCHEDULE

District—Shahdol, Tehsil—Jaitpur, Forest Division—South Shahdol Division, Forest Range—Keshwahi

S. No.	Name of Proposed Forest block	Detail of Land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kolmi 212	Kolmi	Revenue Land (Land bank)	478/1क	8.540	**North**—Proposed forest block pillar No. 8 to 01 artificial forest boundary. **East**—Proposed forest block pillar No. 01 to 29 artificial forest block boundary. **South**—Proposed forest block pillar No. 29 to 14 artifical forest block boundary. **West**—Proposed forest block pillar No. 14 to 08 artifical forest block boundary.
				478/1ख	1.617	
				478/5	0.809	
		Kharuha		18/2	9.607	
				Total	20.573	

(A) Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. receival formal unapproval and in lieu of 20.016 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Water Resources Deptt. Umaria of Tank Vandehi area 8.213 Ha., Patpariha Tank area 10.516 Ha. Ghoghari Tank area 1.287 Ha. The above mentioned Non Forest Land of 20.573 hectare has been transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by Collector Shahdol's order No. RM/2014/4264 dated 13th June 2014 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Nil dated Nil of Nil (Designation of Competent Revenue Officer) are as under.

1. **Individuals Rights**—There is no individual community.

2. **Community Rights**—There is no individual community.

THEREFORE, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त, 2016

क्र. एफ-25-81-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखंड N-23°39'31.0" से N-23°39'50.5" उत्तर आक्षांश तथा E-80°24'58.0" से E-80°25'12.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—कटनी, तहसील—ढीमरखेड़ा, वनमण्डल—कटनी, वनपरिक्षेत्र—ढीमरखेड़ा

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पोंड़ी	पोंड़ी	बड़े झाड़ का जंगल	145/3	20.00	**उत्तर**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 08 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 16 से 17 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 17 से 24 तक एवं मुनारा क्र. 24 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग	20.00	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार—**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC 001/2014-BHO/1038 दिनांक 18 अगस्त, 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, 61 मॉ गंगा नगर, सनावद रोड, जिला खरगौन की स्वीकृत परियोजना पुनासा परिक्षेत्र वन मण्डल, खण्डवा के अंतर्गत 66 के.व्ही. विद्युत् लाईन, पम्प हाऊस एवं वाटर पाईप लाईन निर्माण में प्रभावित 8.985 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 20.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के आदेश क्रमांक रा. प्र. 31/अ-19/2013-14 दिनांक 20-3-2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, ढ़ीमरखेड़ा, जिला कटनी के प्रमाण-पत्र के अधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. **सामुदायिक अधिकार.**—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-81-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-81-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-81-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-23°39'31.0" to N-23°39'50.5" north Latitude and E-80°24'58.0" to E-80°25'12.0" east Longitude :—

SCHEDULE

District—Katni, Tehsil—Dhimarkheda, Forest Division—Katni, Forest Range—Dhimarkheda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Detail of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pondi	Pondi	Bade Jhadka Jungle.	145/3	20.00	**North**—Artifical forest boundary of proposed protected Forest Block from pillar no. 01 to 08. **East**—Artifical forest boundary of Proposed Protected forest block from pillar no. 08 to 16. **South**—Artifical forest boundary of proposed protected forest Block from pillar no. 16 to 17. **West**—Artifical forest boundary of proposed protected forest block from pillar no. 17 to 24 & pillar no. 24 to 01.
				Total . .	20.00	

(A) Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC 001/2014-BHO/1038 dated 18th August, 2015 and in lieu of 8.985 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Punasa Range, Khandwa Division, 66 K.V. Electricity Line, Pump House and Water Pipe line of N.T.P.C. Ltd., 61 Maa Ganga Nagar, Sanavad Road Khargone District the above mentioned Non Forest Land of 20.00 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order रा.प्र. No.31/A-19/2013-14 dated 20th March 2015 of Collector Katni Court for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons—No

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Dhimarkheda, District Katni Certificate are as under.

1. **Individuals Rights**—No Individual Rights on the above land.

2. **Communities Rights**—No Community Rights on the above land.

THEREFORE, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त, 2016

क्र. एफ-25-82-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखंड N-23°39'37.26" से N-23°39'54.00" उत्तर आक्षांश तथा E-80°13'16.20" से E-80°13'39.40" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—कटनी, तहसील—बहोरीबंद, वनमण्डल—कटनी, वनपरिक्षेत्र—बहोरीबंद

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	तिहारी	तिहारी	बड़े झाड़ का जंगल	25/1	28.73	**उत्तर**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 25 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 25 से 33 एवं मुनारा क्र. 33 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	28.73	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार—**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC 053/2013-BHO/664 दिनांक 20 मार्च, 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला रायसेन की स्वीकृत परियोजना रायसेन जिले के अंतर्गत नगपुरा नगझिरी लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित 14.366 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 28.73 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के आदेश प्रकरण क्रमांक 02/अ-19/2013-14, दिनांक 15 जनवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार बहोरीबंद, जिला कटनी के प्रमाण-पत्र के अधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. **सामुदायिक अधिकार.**—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-82-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-82-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-82-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-23°39'37.26" to N-23°39'54.00" north latitude and E-80°13'16.20" to E-80°13'39.40" east longitude :—

SCHEDULE

District—Katni, Tehsil—Bahoriband, Forest Division—Katni, Forest Range—Bahoriband

S. No.	Name of Proposed Forest block	Details of land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tihari	Tihari	Bade Jhad ka Jungle	25/1	28.73	**North**—Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no. 01 to 07. **East**—Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no. 07 to 14. **South**—Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no. 14 to 25. **West**—Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no. 25 to 33 & pillar no. 33 to 01.
				Total . .	28.73	

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC 053/2013-BHO/664, dated 20th March, 2014 and in lieu of 14.366 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Raisen District Construction Minor Irrigation Nagpura Nagjhiri of Executive Engineer, Water Resources Division Raisen District the above mentioned Non Forest Land of 28.73 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order प्र. No. 02/A-19/2013-14, dated 15th January 2014 of Collector Katni Court for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons—No.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Bahoriband, District Katni Certificate are as under.

1. **Individual Rights**—No Individual Rights on the above land.

2. **Community Rights**—No Community Rights on the above land.

THEREFORE, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त, 2016

क्र. एफ-25-84-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखंड N-22°36, 20.60" से N-22° 36" ,44.37" उत्तर आक्षांश तथा E-80°18'03.50" से E-80°18'30.17" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—मण्डला, तहसील—मण्डला, वनमण्डल—पश्चिम मण्डला, वनपरिक्षेत्र—महाराजपुर

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खैरी	खैरी	पहाड़ चट्टान	167/1	17.30	**उत्तर**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 25 एवं आरक्षित वनखण्ड खैरी पश्चिम के कक्ष क्रमांक 397 के मुनारा क्रमांक 23/1 तक की वन सीमा. **पश्चिम**—आरक्षित वनखण्ड खैरी पश्चिम के कक्ष क्रमांक 397 के मुनारा क्रमांक 23/1 से प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	17.30	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8C-5/26-94-FCW, दिनांक 15 अक्टूबर 1996 में अधिरोपित शर्त के अनुसार उड़ीसा सीमेन्ट लिमि. राजगांगपुर (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना डोलोमाईट खनिज उत्खनन (परियोजना का नाम) में प्रभावित वनभूमि 11.093 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 17.30 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 17.30 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पक्ष में कलेक्टर मण्डला के आदेश क्रमांक 2 (अ-19/3) 94-95 दिनांक 28-02-1995 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी डिप्टी कलेक्टर, मण्डला (पद नाम) के प्रतिवेदन दिनांक 28-02-1995 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार:**—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. **सामुदायिक अधिकार:**—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-84-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-84-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-84-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 22°36'20.60" to N 22°36, 44.37'' north Latitude and E 80° 18'03.50" to E 80°18'30.17" East Longitude.

SCHEDULE

District—Mandla, Tehsil—Mandla, Forest Division—West Mandla, Forest Range—Maharajpur

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of land included				Forest block boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Khairi	Khairi	Pahad Chattan	167/1	17.30	**North**—Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 1 to 15.
				Total . .	17.30	**East**—Proposed Artificial forest boundary From Pillar No. 15 to 16. **South**—Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 16 to 25 and reserve forest block Khairi west compartment Number 397 Pillar Number 23/1. **West**—Reserve forest block Khairi West Compartment Number 397 Pillar Number 23/1 to artificial forest boundary from pillar Number 1.

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 8C-5/26-94-FCW dated 15-10-1996 and in lieu of 11.093 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Dolomite Mines (Name of Project) of Oddisa Cement ltd. Rajganpur (Name of User/Department/Agency/Person), the above mentioned Non Forest Land of 17.30 hectare transferred or muted in favour of M. P. govt., Forest Department by order No. 2(A-19/3) 94-95 dated 28-02-1995 of Collector Mandla for the purpose of compensatory afforestation.

2. **Details of other Reasons—Nil**

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 28-02-1995 of Deputy Collector Mandla (Designation of Competent Revenue Officer) are as under.

1. **Individual Rights**—There is no individual Rights on the land in question.

2. **Community Rights**—There is no Community Rights on the land in question.

THEREFORE, the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-85-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N 23° 39' 20.00'' से N 23° 39' 28.56'' उत्तर अक्षांश तथा E 80° 24'57.5
-0'' से E 80° 25' 08.80" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—कटनी, तहसील—ढीमरखेड़ा, वनमंडल—कटनी, वन परिक्षेत्र—ढीमरखेड़ा

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पोंड़ी	पोंड़ी	बड़े झाड़ का जंगल	145/2	7.74	**उत्तर**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 15 एवं मुनारा क्रमांक 15 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	7.74	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार—**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPB-61-2013-BHO-1557, दिनांक 4 सितम्बर 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला बुरहानपुर की स्वीकृति परियोजना बुरहानपुर जिले के अंतर्गत ईटारिया जलाशय के निर्माण में प्रभावित 3.87 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 7.74 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला, कटनी के आदेश प्रकरण क्रमांक 13-अ-19-2013-14, दिनांक 9 मई 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार ढीमरखेड़ा, जिला कटनी के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **व्यक्तिगत अधिकार**.—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. **सामुदायिक अधिकार**.—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-85-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-85-2016-दस-3, दिनांक 23 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-85-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23° 39' 20.00'' to N 23° 39' 28.56'' North Latitude and E 80° 24'57.50" to E 80° 25'08.80" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Katni, Tehsil-Dhimarkheda, Forest Division-Katni, Forest Range—Dhimarkheda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pondi	Pondi	Bade Jhad ka Jungle	145/2	7.74	**North**—Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar No. 01 to 02. **East**—Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar No. 02 to 08. **South**—Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar No. 08 to 13. **West**—Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar No. 13 to 15 & Pillar No. 15 to 01.
			Total		7.74	

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPB-61-2013-BHO-1557, dated 4th September 2014 and in lieu of 3.87 hectare of affected revenue forest land under the sanctioned Project Construction of Itariya Tank in Burhanpur District of Executive Engineer, Water Resources Department, District Burhanpur the above mentioned Non Forest land of 7.74 hectare transferred or muted in favor of M. P. Govt., Forest Department by order No. 13-A-19-2013-14 dated 9th May 2014 of Collector Katni Court for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons—No.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tahsildar Dhimarkheda, District Katni Certificate are as under.

1. **Individuals Rights**—No Individual Rights on the above land.

2. **Community Rights**—No Community Rights on the above land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-100-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N 22° 04' 23.475'' से N 22° 04' 46.167'' उत्तर अक्षांश तथा E 78° 24'0.869'' से E 78° 24' 20.023" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—छिन्दवाड़ा, तहसील—जुन्नारदेव, वनमंडल—पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल, वन परिक्षेत्र—जामई

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	निरामा	जामई रैयत	बड़े झाड़ का जंगल	1	26.733	**उत्तर**—प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 13 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 14 से 1 तक तथा 1 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 5 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 10 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	26.733	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार—**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC-043-2013-BHO-1170, दिनांक 19 जून 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खंड छिन्दवाड़ा की स्वीकृति परियोजना पेंच व्हेली जल प्रदाय योजना (मंधान डेम) में प्रभावित 29.975 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 26.733 हेक्टेयर (बड़े झाड़ का जंगल) गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 26.733 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 27-अ-19(4)-85-86, दिनांक 28 नवम्बर 1986, हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, बहोरीबंद, जिला कटनी के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. **सामुदायिक अधिकार.**—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-100-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-100-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-100-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 22° 04' 23.475'' to N 22° 04' 46.167'' North Latitude and E 78° 24'0.869" to E 78° 24'20.023" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Chhindwara Tehsil-Junnardev, Forest Division-West Division Chhindwara, Forest Range—Jamai

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Detail of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nirama	Jamai Raijyat	Bade Jhad Ke Jungle	1	26.733	**North**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 13 to 14. **East**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to 1 and 1 to 5. **South**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5 to 10. **West**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 13.
			Total		26.733	

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC-043-2013-BHO-1170, dated 19th June 2014 and in lieu of 29.975 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Penchvelly Jalpraday Yojna (mandhan Dam) Executive Engineer P. H. E. Project Chhindwara the above mentioned Non Forest land of 26.733 hectare (Bade Jhad Ka Jungle) transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 27-A-19(4)-85-86, dated 28 November 1986 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons—Nill.

1. **Individuals Rights**—No Individual Rights on the above land.

2. **Community Rights**—No Community Rights on the above land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-103-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N 24°20'3.8'' से N 24° 20' 06.7'' उत्तर अक्षांश तथा E 81° 21'05'' से E 81° 21' 13" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—सीधी, तहसील—रामपुर नैकिन, वनमंडल—सीधी, वन परिक्षेत्र—चुरहट

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बुढगौना	बुढगौना	म. प्र. शासन राजस्व पड़त भूमि	125/2	2.300	**उत्तर**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 06 तक कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 06 तक (बघवार-हिनौती) वनमार्ग एवं कक्ष क्र. आर-1120 की वन सीमा.
			योग . .		2.300	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार—**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPD-035-2006-BHO-3460, दिनांक 11 जुलाई 2007 में अधिरोपित शर्त अनुसार मेसर्स जय प्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृति परियोजना सीधी जिले के अंतर्गत वन मंडल सीधी अंतर्गत बघवार-हिनौती वनमार्ग निर्माण में प्रभावित 2.300 हे. वनभूमि मेसर्स जय प्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत् (परियोजना का नाम) मे वन मण्डल सीधी की प्रभावित 2.300 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.300 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 2.300 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सीधी के आदेश क्रमांक 07-अ-19(3)2006-2007, दिनांक 24 जुलाई 2007 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार, रामपुर नैकिन (पदनाम) के प्रतिवेदन क्र. 2093, दिनांक 8 जून 2007 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **व्यक्तिगत अधिकार**.—निरंक

2. **सामुदायिक अधिकार**.—निरंक.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-103-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-103-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-103-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals of communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 24° 20' 3.8'' to 24° 20' 06.7'' North Latitude and 81° 21'05" to 81° 21'13" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sidhi, Tehsil-Rampur Naikin, Forest Division-Sidhi, Forest Range—Sidhi.

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Boundaries of Forest Block
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Budgouna	Budgouna	Revenue Waste Land Village Budgouna	125/2	2.300	**North**—Proposed Protected Forest Pillar No. 1 upto Artificial forest Boundary. **East**—Proposed Protected Forest Pillar No. 2 upto 3 Artificial forest Boundary. **South**—Proposed Protected Forest Pillar No. 3 upto 6 Artificial forest Boundary. **West**—Proposed Protected Forest Pillar No. 1 to 6 (Baghwar to Hinauti) forest Road and Compt. no. RF-1120 forest Boundary.
				Total	2.300	

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPD-035-2006-BHO-3460, dated 11th July 2007 and in lieu of 2.300 hectare of affected forest land Under the Sanctioned Project of Construction Baghwar-Hinauti Approach Road of Project'' (Name of Project) of M/S Jay Prakash Associate Ltd. J. P. Cement Factory Baghwar Name of User Department/Agency/Person), the above mentioned Non Forest Land of 2.300 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 50-A-19(3)2006-2007 dated 24th July 2007 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of Reason—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land as per report No. 2093 dated 8th June 2007 of Tahsildar Rampur Naikin (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. **Individuals Rights**—Nil.

2. **Community Rights**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-104-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 24°21'26.2'' से 24° 21' 29.11'' उत्तर अक्षांश तथा 81° 23'19'' से 81° 23'8.11" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—सीधी, तहसील—रामपुर नैकिन, वनमंडल—सीधी, परिक्षेत्र—चुरहट

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नैकिन	नैकिन	म. प्र. शासन राजस्व पड़त भूमि	134, 135/2	1.74 0.28	**उत्तर**—कक्ष क्र. आर-1119 के मुनारा क्र. 95 से 90 वनसीमा. **पूर्व**—कक्ष क्र. आर-1119 के मुनारा क्र. 90 से प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 1 से 3 तक कृत्रिम वनसीमा. **दक्षिण**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 04 एवं आरक्षित वनखण्ड आर-1119 के मुनारा क्र. 95 तक कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—कक्ष क्र. आर-1119 के मुनारा क्र. 95 तक कृत्रिम वनसीमा.
			योग . .		2.02	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार—**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPB-039-2011-BHO-3213, दिनांक 9 जून 2011 में अधिरोपित शर्त अनुसार मेसर्स जय प्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड निगरी (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृति परियोजना गोपद नदी में डायवर्सन वियर निर्माण (परियोजना का नाम) में प्रभावित 2.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.02 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.02 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सीधी के आदेश क्रमांक 05-अ-19(3)-2009-10, दिनांक 3 मई 2010 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, रामपुर नैकिन (पदनाम) के प्रमाण-पत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—निरंक

2. **सामुदायिक अधिकार.**—निरंक.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-104-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-104-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-104-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forests areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals of communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 24° 21' 26.2'' to 24° 21' 29.11'' North Latitude and 24° 21'26.2" to 24° 21'29.11" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sidhi, Tehsil-Rampur Naikin, Forest Division-Sidhi, Forest Range—Churhat.

S. No.	Details of Land Included					Boundaries of Forest Block
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Naikin	Naikin	M. P. Government Revenue Waste Land.	134 135/2	1.74 0.28	**North**—Compt. No. R-1119 Pillar No. 95 to 90 artificial forest boundary. **East**—Compt. No. R-1119 Pillar No. 90 and proposed protected forest Pillar No. 1 to 3 artificial forest boundary. **South**—Proposed Projected Forest Pillar No. 3 to 4 and RF Forest Block Compt. No. R-1119 Pillar No. 95 Artificial forest Boundary. **West**—Compt. No. R-1119 Pillar No.95 Artificial forest Boundary.
				Total	2.02	

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's Order No. 6MPB039-2011-BHO-3213 dated 9th June 2011 and in lieu of 2.00 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of M/S Jayprakash power Ventures limited Nigrie in-constracted diversion vear in Gopad rivar (Name of Project) of M/S Jayprakash power Ventures limited Nigire (Name of User Department/Agency/Person), the above mentioned Non Forest Land of 2.02 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 5/A-19(3)2009-10 dated 03-05-2010 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation.

2. **Details of Reason**—Nill.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land as per Certificate dated 22-01-2016 of Tahshildar Rampur Naikin (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. **Rights of Individuals**—Nil.

2. **Rights of Communities**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-105-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 24°25'14.9'' से 24° 25' 21.2'' उत्तर अक्षांश तथा 81° 39'53.2'' से 81° 40''0.1'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—सीधी, तहसील—रामपुर नैकिन, वनमंडल—सीधी, परिक्षेत्र—चुरहट

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चुरहट ''अ''	चुरहट	म. प्र. शासन राजस्व पड़त भूमि	1085/02/10 ख 1/2	3.635	**उत्तर**—कक्ष क्र. पी-1139 के मुनारा क्र. 3 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 तक कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक कृत्रिम वनसीमा. **दक्षिण**—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से कक्ष क्र. पी-1139 के मुनारा क्र. 4 तक कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—कक्ष क्र. पी-1139 के मुनारा क्र. 3 से 4 तक कृत्रिम वनसीमा.
				योग . .	3.635	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार—**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8B/52/95-FCW/3596, दिनांक 27 जुलाई 2007 में अधिरोपित शर्त अनुसार कार्यपालन यंत्री (सेतु निर्माण) लोक निर्माण विभाग रीवा मध्यप्रदेश (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृति परियोजना शिकारगंज-चमराडोल मार्ग कि. मी. 7/8 सोन नदी पर पुल एवं एप्रोच रोड निर्माण (परियोजना का नाम) में प्रभावित 3.635 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 3.635 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.635 हे. को छतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सीधी के आदेश क्रमांक 3/अ-19(3)/2004-2005 दिनांक 15-4-2005 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी.—तहसीलदार, चुरहट (पदनाम) के प्रमाण-पत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **व्यक्तिगत अधिकार**.—निरंक

2. **सामुदायिक अधिकार**.—निरंक.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-105-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-105-2016-दस-3, दिनांक 5 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th August 2016

No. F-25-105-2016-X-3.—In exercise of powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act. applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals of communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 24° 25' 14.9'' to 24° 25' 21.2'' North Latitude and 81° 39'53.2" to 81° 40''0.1" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sidhi, Tehsil-Gopad Banas, Forest Division-Sidhi, Forest Range—Sidhi.

S. No.	Details of Land Included					Boundaries of Forest Block
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Churhat "A"	Churhat	M. P. Government Revenue Waste Land.	1085/02/10 B 1/2	3.635	**North**—Compt. No. P-1139 Pillar No. 3 to proposed Protected forest Pillar No. 1 Artificial forest Boundary. **East**—Proposed Projected forest Pillar No. 1 upto 2 artificial forest Boundary. **South**—Proposed projected forest pillar No. 2 and Compt. No. P-1139 Pillar No. 4 artificial forest boundary. **West**—Compt. No. P-1139 Pillar No.3 to 4 artificial forest boundary.
				Total	3.635	

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's Order No. 8B/52/95-FCW/3596 dated 27-07-2007 and in lieu of 3.635 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Construction of Approach road to the son river bridge at K.M. 7/8 in Sikarganj-Chamaradol P. W. D. road (Name of Project) E. E. (Bridge Construction) P.W.D. Division Rewa M. P. (Name of User Department/Agency/Person), the above mentioned Non Forest Land of 3.635 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 03/A19(3)/2004/05 dated 15-04-2005 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of Reason—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land as per Certificate dated 22-01-2016 of Tahshildar Churhat (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. **Individual Rights**—Nil.
2. **Community Rights**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-28-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N 24°24' 23.7'' से N 24° 24' 51.7'' उत्तर अक्षांश तथा E 79° 09'7.80'' से E 79° 09' 45.4" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—शाहगढ़, वनमंडल—उत्तर सागर (सा.), वन परिक्षेत्र—शाहगढ़

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	इन्दौरा	इन्दौरा	छोटा घांस	544/2	44.88	**उत्तर**—मुनारा क्रमांक 01 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—मुनारा क्रमांक 15 से 25 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—मुनारा क्रमांक 25 से 54 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—मुनारा क्रमांक 54 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	44.88	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-484/84-एफ.आर.वाई (कन्स) दिनांक 11//12-3-2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर की स्वीकृत परियोजना अपर चंदिया जलाशय में प्रभावित 149.28 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 44.88 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 44.88 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक/11364/री.क्ले/99, दिनांक 24/26-7-1999 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

2. उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक/11364/री.क्ले/99, दिनांक 24/26-7-1999 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—उपरोक्त वर्णित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

2. **सामुदायिक अधिकार.**—उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-28-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-28-2016-दस-3, दिनांक 23 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 23rd August 2016

No. F-25-28-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24°24' 23.7'' to N 24° 24' 51.7'' North Latitude and E 79° 09'7.80'' to E 79° 09' 45.4" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Shahgarh, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Shahgarh

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Boundaries of Forest Block
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indora	Indora	Chhota Ghas	544/2	44.88	**North**—Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to Pillar No. 15. **East**—Artificial forest boundary from Pillar No. 15 to pillar No. 25. **South**—Artificial forest boundary from Pillar No. 25 to Pillar No. 54. **West**—Artificial forest boundary from Pillar No. 54 to Pillar No. 01.
				Total	44.88	

Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with condition laid down in Ministry of Environment Forest and Climet change, Govt. of India's order No. F. No. 8-484/84-FRY (Cons) dated 11/12-3-2008 and in lieu of 149.28 hectare of affected forest land order the Sanctioned Project of upper chandiya tank of E.E.W.R.D. No. 1 Sagar of the abvoe mentioned Non Forest Land of 44.88 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 11364/R. Coll/99 dated 24/26th July 1999 of Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded right on the above land as per report No. 11364/R. Coll/99 dated 24/26th July 1999 of Revenue Collector are as under.

1. **Individuals Right**—There are not right of Individuals.

2. **Communities Right**—There are not right of Communities

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-28-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N 24^{0}03' 59.5'' से N 24^0 04' 32.5'' उत्तर अक्षांश तथा E 78^0 51'48.1'' से E 78^0 52' 46.8" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—बण्डा, वनमंडल—उत्तर सागर (सा.), वन परिक्षेत्र—बण्डा

क्रमांक	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	हिण्डोरिया	हिण्डोरिया	बड़ा झाड़	411/2	104.40	**उत्तर**—मुनारा क्रमांक 01 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—मुनारा क्रमांक 18 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—मुनारा क्रमांक 24 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—मुनारा क्रमांक 31 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	104.40	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-484/84-एफ.आर.वाई (कन्स) दिनांक 11/12-3-2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर की स्वीकृत परियोजना अपर चंदिया जलाशय में प्रभावित 149.28 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 104.40 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 101.40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक/543/री.क्ले/2000, दिनांक 21-7-2000 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

2. उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक/543/री.क्ले/2000, 21-7-2000 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) **व्यक्तिगत अधिकार.**—उपरोक्त वर्णित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) **सामुदायिक अधिकार.**—उपरोक्त वर्णित भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-28-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-28-2016-दस-3, दिनांक 23 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 23rd August 2016

No. F-25-28-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24°03' 59.5'' to N 24° 04' 32.5'' North Latitude and E 78° 51'48.1'' to 78° 52' 46.8" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar Tehsil-Banda, Forest Division-North Sagar (T) Forest Range—Banda

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hindoria	Hindoria	Bada Jhar	411/2	104.40	**North**—Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to pillar No. 18. **East**—Artificial forest boundary from Pillar No. 18 to pillar No. 24. **South**—Artificial forest boundary from Pillar No. 24 to pillar No. 31. **West**—Artificial forest boundary from Pillar No. 31 to pillar No. 01.
				Total	104.40	

Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with the condition laid down in Ministry of Environment Forest and Climet change, Govt. of India's order No. F. No. 8-484/84-FRY (Cons) dated 11/12-3-2008 and in lieu of 149.28 hectare of affected forest land order the Sanctioned Project of upper chandiya tank of E.E.W.R.D. No. 1 Sagar of the abvoe mentioned Non Forest Land of 104.40 hectare Transferred of muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 543/R. Coll/2000 dated 21-8-2000 of Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded right on the above land as per report No. 543/R. Coll/2000, dated 21-8-2000 of Revenue Collector are as under.

1. **Individuals Right**—There are not right of Individuals.

2. **Communities Right**—There are not right of Communities

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-42-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि की पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 24°18' 14.00'' से N 24° 18' 24.5'' उत्तर अक्षांश तथा E 78° 32'17.5'' से E 78° 32' 31.0'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—मालथौन वनमंडल—उत्तर सागर (सा.), वन परिक्षेत्र—मालथौन

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मालथौन	मालथौन	पहाड़ चट्टान	686/2	4.00	**उत्तर**—मुनारा क्रमांक 1 N 24°18' 24.5'' E 78°32' 17.5.'' कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—मुनारा क्रमांक 2 से आर.एफ. 108 का मुनारा क्रमांक 50 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—आर.एफ. 108 का मुनारा क्रमांक 50 से 47 तक की वन सीमा. **पश्चिम**—कक्ष क्रमांक आर.एफ. 108 का मुनारा क्रमांक 47 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
			योग . .		4.00	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8सी/5/306/95-एफ.सी.डब्लू, दिनांक 28-1-1999 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मे. दैविक मिनरल्स टोरिया हाउस, छतरपुर की स्वीकृत परियोजना फर्शी-पत्थर लीज में दैविक मिनरल्स में प्रभावित 4.00 हेक्टैयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 4.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक/1997/री.क्ले/98, दिनांक 29/31-8-1998 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

2. उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक/1997/री.क्ले/98, दिनांक 29/31-8-1988 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

   1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

   2. **सामुदायिक अधिकार.**—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-42-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-42-2016-दस-3, दिनांक 23 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 23rd August 2016

No. F-25-42-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24°18' 14.0'' to N 24° 18' 24.5'' North Latitude and E 78° 32'17.5'' to E 78° 32' 31.0" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar Tehsil-Malthone, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Malthone

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Malthone	Malthone	Phad Chattan	686/2	4.00	**North**—Artificial forest boundary of New Pillar No. 01 N 24° 18' 24.5'' E 78° 32' 17.5''. **East**—New Pillar No. 2 to Forest Boundary RF 108 Pillar No. 50. **South**—Forest Boundary of RF 108 Pillar No. 50 to 47. **West**—Artificial Forest Boundary of RF 108 Pillar No. 47 to 1.
				Total . .	4.00	

Reason for Publication of Notification.—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No.8C/5/306/95-FCW, Dated 28-1-1999 and in lieu of 4.00 hectare of affected forest land order the sanctioned project of Stone Quarry Lease of Mr. Davik Minerals Toria House Chhatarpur of the above mentioned Non Forest Land of 4.00 hectare transferred of muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 1997/Rev.Coll/98 dated 29/31-8-1998 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1997/Rev. Coll/98 Dated 29/31-8-1998 of Revenue Collector are as under.

A. **Right of Individuals**—There are not Right **of** Individuals

B. **Right of Communities**—There are not right of Communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-96-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N-24°16' 14.06'' से N-24°16' 31.06' उत्तर अक्षांश तथा E 81° 56' 25.41'' से E-81° 56'25.41'' से पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सीधी तहसील—गोपद बनास, वनमंडल—सीधी, वन परिक्षेत्र—सीधी

अनु. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	तेगवा 'अ'	तेगवा	म. प्र. शासन राजस्व पड़त भूमि	506/1 527/1	13.640 50.250	**उत्तर**—संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 63 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 63 की कृत्रिम वन सीमा एवं कक्ष क्र. आर-1094 के मुनारा क्र. 128 की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—कक्ष क्रमांक आर-1094 के मुनारा क्रमांक 119 से 128 की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—कक्ष क्र. आर-1094 के मुनारा क्र. 119 की कृत्रिम वन सीमा तथा संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 18 तक कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	63.890	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-390/84-एफसी, दिनांक 27-1-1986 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, महान सिंचाई परियोजना संभाग सीधी (म. प्र.) की स्वीकृत परियोजना महान सिंचाई परियोजना में प्रभावित 491.130 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 135.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 63.890 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सीधी के आदेश क्रमांक/7-अ/19(3)2001-02, दिनांक 4-9-2002 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार गोपदबनास के प्रतिवेदन प्रमाण-पत्र दिनांक 20-1-2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—निरंक

2. **सामुदायिक अधिकार.**—निरंक

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-96-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-96-2016-दस-3, दिनांक 23 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 23rd August 2016

No. F-25-96-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisduals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24°16' 14.06'' to N 24° 16' 31.91'' North Latitude and E 81° 56'25.41'' to 81° 57°43°.19" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sidhi Tehsil-Gopad Banas, Forest Division-Sidhi Forest Range—Sidhi

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tegwa "A"	Tegwa	Revenue waste land village Bamuri	506/1, 527/1	13.640 50.250	**North**—Protected Forest Block 18 to 63 Artificial Forest Boundary. **East**—Protected Forest Block pillar No.63 and Compartment No. R-1094 pillar No. 128 Artificial Boundary. **South**—Compartment No. R-1094 pillar No.119 to 128 Artificial Forest Boundary. **West**—Compartment No. R-1094 pillar No.119 to Protected Forest Block pillar No. 1 to 18 Artificial Forest Boundary.
				Grand Total . .	63.890	

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 8-390/84-FC, dated 27-1-1986 and in lieu of 491.130 hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of mahan irrigation Project E.E. Division Sidhi the above mentioned Non Forest Land of 135.900 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 7-A/19(3)/2001/02, dated 4-9-2002 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of of other Reasons—Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Gopad Banas (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. **Right of Individuals**—Nil

2. **Right of Communities**—Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-96-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N 24° 17' 2.12'' से N 24° 17' 14.07'' उत्तर अक्षांश तथा E 81° 55' 37.3.5'' से E 81° 56' 10.68'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—सीधी, तहसील—गोपद बनास, वनमंडल—सीधी, वन परिक्षेत्र—सीधी

अनु. क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चरकी 'अ'	चरकीपानी	म. प्र. शासन, राजस्व पड़त भूमि.	397	28.550	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 23 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 23 से 30 एवं कक्ष क्र. आर-1051 के मुनारा क्र. 29 तक कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—कक्ष क्रमांक आर-1051 के मुनारा क्रमांक 29 से 28 एवं संरक्षित वनखण्ड़ के मुनारा क्र. 31 से 58 कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड की कृतिम वन सीमा मुनारा क्र. 58 से 60 एवं मुनारा क्र. 1 तक.
			योग :		28.550	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-390/84-एफसी, दिनांक 27 जनवरी 1986 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री महान सिंचाई परियोजना संभाग सीधी (म. प्र.) की स्वीकृत परियोजना महान सिंचाई परियोजना में प्रभावित 491.130 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 135.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 28.550 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में, कलेक्टर सीधी के आदेश क्रमांक 7-अ/19(3)2001-02, दिनांक 4 सितम्बर 2002 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, गोपदबनास के प्रतिवेदन प्रमाण-पत्र दिनांक 20 जनवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—निरंक

2. **सामुदायिक अधिकार.**—निरंक

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-96-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-96-2016-दस-3, दिनांक 23 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 23rd August 2016

No. F-25-96-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24°17' 2.12'' to N 24°17' 14.07'' North Latitude and E 81° 55' 37.35'' to E 81° 56' 10.68'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sidhi, Tehsil-Gopad Banas, Forest Division-Sidhi, Forest Range—Sidhi

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Charki "A"	Charki pani	Revenue waste land, Village Bamuri.	397	28.550	**North**—Protected Forest Block from Pillar No. 01 to 23 Artificial Forest Boundary. **East**—Protected Forest Block pillar No.23 to 30 and Compt No. 1051, Pillar No. 29 Artificial Forest Boundary. **South**—Compartment No. RF-1051, Pillar No. 29 to 28 and Protected Forest Block Pillar No. 31 to 58 Artificial Forest Boundary. **West**—Protected Forest Pillar No. 58 to 60 and Pillar No. 1 Artificial Forest Boundary.
			Total :		28.550	

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 8-390/84-FC, dated 27 Junuary 1986 and in lieu of 491.130 hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of mahan irrigation Project E.E. Division Sidhi the above mentioned Non Forest Land of 28.550 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 7-A/19(3)/2001/02, dated 4 September 2002 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation

2. **Details of other Reasons**—Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Gopad Banas (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. **Right of Individuals**—Nil
2. **Right of Communities**—Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-96-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N 24° 20' 53.2'' से N 24° 21' 9.48'' उत्तर अक्षांश तथा E 81° 58' 44.92'' से E 81° 59' 4.03'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—सीधी, तहसील—गोपाद बनास, वनमंडल—सीधी, वन परिक्षेत्र—सीधी

अ. क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बमुरी 'अ'	बमुरी	म. प्र. शासन, राजस्व पड़त भूमि.	860	21.480	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 22 से 32 तक कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 32 से 39 एवं मुनारा क्र. 01 की कृतिम वन सीमा.
			योग :		21.480	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-390/84-एफसी, दिनांक 27 जनवरी 1986 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री महान सिंचाई परियोजना संभाग सीधी (म. प्र.) की स्वीकृत परियोजना महान सिंचाई परियोजना में प्रभावित 491.130 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 135.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 21.480 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में, कलेक्टर सीधी के आदेश क्रमांक 7-अ/19(3)2001-02, दिनांक 4 सितम्बर 2002 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, गोपदबनास के प्रतिवेदन प्रमाण-पत्र दिनांक 20 जनवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—निरंक

2. **सामुदायिक अधिकार.**—निरंक

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-96-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-96-2016-दस-3, दिनांक 23 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 23rd August 2016

No. F-25-96-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24° 20' 53.2'' to N 24° 21' 9.48'' North Latitude and E 81° 58' 44.92'' to E 81° 59' 4.03'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sidhi, Tehsil-Gopad Banas, Forest Division-Sidhi, Forest Range—Sidhi

S. No.	Name of Forest Block	Detail of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bamuri "A"	Bamuri	Revenue waste land, Village Bamuri.	860	21.480	**North**—Protected Forest Block from Pillar No. 01 to 12 Artificial Forest Boundary. **East**—Protected Forest Block Pillar No. 12 to 22. **South**—Protected Forest Block from Pillar No. 22 to 32 Artificial Forest Boundary. **West**—Protected Forest Pillar No. 32 to 39 and 1 Artificial Forest Boundary.
				Total :	21.480	

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order 8-390/84-FC, dated 27 Junuary 1986 and in lieu of 491.130 hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Mahan irrigation Project E.E. Division Sidhi the above mentioned Non Forest Land of 21.480 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 7-A/19(3)/2001/02, dated 4 September 2002 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation

2. **Details of other Reasons**—Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Gopad Banas (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. **Right of Individuals**—Nil

2. **Right of Communities**—Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-96-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N 24° 20' 45.18'' से N 24° 20' 57.58'' उत्तर अक्षांश तथा E 81° 59' 53.32'' से E 81° 0' 20.18'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—सीधी, तहसील—गोपद बनास, वनमंडल—सीधी, वन परिक्षेत्र—सीधी

अनु. क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बमुरी 'अ'	बमुरी	म. प्र. शासन, राजस्व पड़त भूमि.	1013	21.980	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा तथा (बमुरी नाला). **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—संरक्षित वनखण्ड़ के मुनारा क्र. 16 से 24 तक कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 24 से 32 एवं मुनारा क्रमांक 01 की कृत्रिम वन सीमा.
			योग :		21.980	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-390/84-एफसी, दिनांक 27 जनवरी 1986 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री महान सिंचाई परियोजना संभाग सीधी (म. प्र.) की स्वीकृत परियोजना महान सिंचाई परियोजना में प्रभावित 491.130 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 135.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 21.980 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में, कलेक्टर सीधी के आदेश क्रमांक 7-अ/19(3)2001-02, दिनांक 4 सितम्बर 2002 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, गोपदबनास के प्रतिवेदन प्रमाण-पत्र दिनांक 20 जनवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार**.—निरंक

2. **सामुदायिक अधिकार**.—निरंक

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. एफ-25-96-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-96-2016-दस-3, दिनांक 23 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 23rd August 2016

No. F-25-96-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24° 20' 45.20'' to N 24° 20' 57.58'' North Latitude and E 81° 59' 53.32'' to E 81° 0' 20.18'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sidhi, Tehsil-Gopad Banas, Forest Division-Sidhi, Forest Range—Sidhi

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bamuri "A"	Bamuri	Revenue waste land Village Bamuri.	1013	21.980	**North**—Protected Forest Block from Pillar No. 01 to 05 Artificial Forest Boundary and Bamuri Nala. **East**—Protected Forest Block from Pillar No. 05 to 16. **South**—Protected Forest Block from Pillar No. 16 to 24 Artificial Forest Boundary. **West**—Protected Forest Block from Pillar No. 24 to 32 & Pillar No. 32 to 1 Artificial Forest Boundary.
				Total :	21.980	

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order 8-390/84-FC, dated 27 Junuary 1986 and in lieu of 491.130 hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Mahan irrigation Project E.E. Division Sidhi the above mentioned Non Forest Land of 21.980 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 7-A/19(3)/2001/02, dated 4 September 2002 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation

2. **Details of other Reasons**—Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Gopad Banas (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. **Right of Individuals**—Nil

2. **Right of Communities**—Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

धार, दिनांक 3 दिसम्बर 2016

प्र. क्र. 1709-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम सुलावड़, तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—सुलावड तहसील—धार

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना.	10.076	1.755	11.831
	योग :	10.076	1.755	11.831

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम सुलावड़ की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम—सुलावड, तहसीलदार धार

स.	कृषक का नाम व	खसरा	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
क्र.	पिता/पति का नाम	क्रमांक	सिंचित	अंसिचित	कुल	सिंचित	अंसिचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	घनश्याम पिता नन्दराम सोरभ बाई बेवा नन्दराम बलाई, निवासी ग्राम सुलावड.	746/3क	0.534	0	0.534	0.265	0	0.265
2	तोलाराम धुलजी नरसिंह पिता अम्बाराम बलाई, निवासी ग्राम सुलावड.	746/3क	0.000	0.534	0.534	0.000	0.150	0.150
3	गणपत पिता पीरा बलाई, निवासी ग्राम सुलावड.	746/2	0.721	0	0.721	0.140	0	0.140
4	उमराव पिता भेरा बलाई, निवासी ग्राम सुलावड.	746/1 घ/2	0.014	0	0.014	0.020	0	0.020
		746/1घ/1	0.028	0	0.028		0	
5	भॅवर पिता भेरा बलाई, निवासी ग्राम सुलावड.	746/1घ/1	0.460	0	0.46	0.130	0	0.130
6	काना पिता भेरा बलाई, निवासी ग्राम सुलावड.	746/3 घ/2	0.252	0	0.252	0.075	0	0.075
7	अशोक पिता रामनारायण ब्राह्मण, नि. घाटाबिल्लोद.	746/3 घ/3	0.252	0	0.252	0.075	0	0.075
8	लाखनसिंह पिता बाबू बलाई, निवासी ग्राम सुलावड.	746/1 ग/1	0.000	0.126	0.126	0.000	0.080	0.080

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	रवि पिता मूलचन्द बलाई, निवासी ग्राम सुलावड.	746/1 ग/2	0.000	0.126	0.126	0.000	0.080	0.080
10	दूलेसिंह पिता बाबू बलाई, निवासी ग्राम सुलावड.	746/1 ग/3	0.000	0.126	0.126	0.000	0.080	0.080
11	भंवरसिंह पिता बाबू बलाई, निवासी ग्राम सुलावड.	746/1 ग/4	0.000	0.126	0.126	0.000	0.080	0.080
12	सावित्री पति मादूसिंह,	746/3 ख	0.377	0	0.377	0.020	0	0.020
	जाति चमार, नि. सागोर.	746/3 ग	0.157	0	0.157		0	
13	मोहनसिंह पिता उमरावसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सुलावड.	745/3/1	0.378	0	0.378	0.093	0	0.093
14	नारायण सिंह पिता उमराव राजपूत, निवासी ग्राम सुलावड.	745/3/2	0.379	0	0.379	0.092	0	0.092
15	मुरली सिंह पिता बहादूरसिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम सुलावड.	745/2	0.758	0	0.758	0.100	0	0.100
16	बहादरसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत, निवासी ग्राम सुलावड.	719/2	0.104	0	0.104	0.030	0	0.030
17	लीलाबाई बेवा प्रतापसिंह, राधाबाई पिता प्रतापसिंह राजपूत, निवासी ग्राम सुलावड.	718/1	0.328	0	0.328	0.040	0	0.040
18	मूरलीसिंह पिता बहादरसिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम सुलावड.	718/2	2.600	0	2.600	0.700	0	0.700
19	इन्दरसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत, निवासी ग्राम सुलावड.	718/3 ग/1	0.252	0	0.252	0.050	0	0.050
20	बहादसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत, निवासी ग्राम सुलावड.	718/3 ग/2	0.252	0	0.252	0.050	0	0.050
21	कमलसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत, निवासी ग्राम सुलावड.	718/3 ग/3	0.252	0	0.252	0.050	0	0.050
22	विक्रमसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत, निवासी ग्राम सुलावड.	718/3 ग/4	0.253	0	0.253	0.050	0	0.050
23	मन्नाबाई बेवा जगन्नाथ,	718/3क	0.750	0	0.75	0.165	0	0.165
	भुपेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह पिता जगन्नाथ राजपूत, निवासी ग्राम सुलावड.	718/3 ख	0.918	0	0.918	0.200	0	0.200
24	मेर्सस पिनेकल इंडस्ट्रीज लिमि. अधिकृत विरेन्द्र पिता नवरतनमल मेहता नि. रेडियो कलोनी, इन्दौर.	726/1/2	0.000	0.540	0.540	0.000	0.540	0.540

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	मोहनसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत निवासी ग्राम सुलावड	726/2/1	2.091	0	2.091	0.200	0	0.200
26	नारायणसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत निवासी ग्राम सुलावड.	726/2/2	2.090	0	2.090	0.200	0	0.200
27	फोरम विल्डकॉन प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर ओमप्रकाश पिता रामदेव सिंह गोत्तम नि. लेबड़.	726/2/1/1	1.393	0	1.393	0.365	0	0.365
28	प्रतापसिंह पिता हरेसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम सुलावड.	727/1/क/6	1.165	0	1.165	0.700	0	0.700
29	पार्वती पति प्रहलाद जाट निवासी ग्राम सुलावड.	727/1ख	0.209	0	0.209	0.010	0	0.010
30	फोरम विल्डकॉन प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर ओमप्रकाश पिता रामदेव सिंह गोत्तम नि. लेबड़.	728	1.944	0	1.944	0.010	0	0.010
31	अर्जुनसिंह पिता शंकरसिंह रघुवंशी निवासी ग्राम सुलावड.	680/3	1.672	0	1.672	0.355	0	0.355
32	मंजूबाई बेवा राधेश्याम, सुनील, शेलेष पिता राधेश्याम रघुवंशी.	681/6	1.463	0	1.463	0.075	0	0.075
33	मादूसिंह पिता रामा रघुवंशी निवासी ग्राम सुलावड.	681/5	1.463	0	1.463	0.075	0	0.075
34	नरोत्तम, देवेन्द्र पिता भेरूसिंह रघुवंशी निवासी ग्राम सुलावड़.	681/3	1.787	0	1.787	0.200	0	0.200
35	गीताबाई पति भगवतसिंह इन्दूबाई पति मुन्नालाल रघुवंशी.	681/2/1	0.627	0	0.627	0.225	0	0.225
36	यशवंतसिंह पिता रामचन्द्र जाट निवासी ग्राम सुलावड.	681/1ख/1	0.418	0	0.418	0.140	0	0.140
37	गीताबाई पति भगवतसिंह इन्दूबाई पति मुन्नालाल रघुवंशी निवासी ग्राम सुलावड़.	681/1ख/2	0.000	0.731	0.731	0.000	0.070	0.070
38	रामगोपाल पिता रामप्रसाद रघुवंशी निवासी ग्राम सुलावड.	681/1क	0.000	0.522	0.522	0.000	0.100	0.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39	प्रवेशिका पिता बुद्धराम यादव नि. इन्दौर.	473/1	1.910	0	1.910	0.300	0	0.300
40	रतन, सत्यनारायण, सावित्राबाई, सुगनाबाई, दुर्गाबाई, पिता नन्दराम धापूवाई बेवा नन्दराम मकुन्द पिता गलिया रघुवंशी नि. आसूखेडी.	473/2	1.907	0	1.907	0.261	0	0.261
41	सन्तोष, योगेश पिता बोदरसिंह सुभद्रा बेवा बोदरसिंह रघुवंशी.	473/3	1.900	0	1.900	0.365	0	0.365
42	ताज मोहम्मद, नूर मोहम्मद पिता न्याज मोहम्मद निवासी ग्राम सागौर.	489/2	0.522	0	0.522	0.150	0	0.150
43	बलवीर कौर पति चरणजीत सैनी जाति सिक्ख निवासी लालबाग इन्दौर.	490/3	0.140	0	0.140	0.140	0	0.140
44	भेरूसिंह पिता रामकिशन रघुवंशी नि. खेडा.	490/2	0.240	0	0.240	0.000	0.100	0.100
45	राजकुमार पिता रामप्रसाद रघुवंशी.	492/1/5/घ	1.254	0	1.254	0.020	0	0.020
46	चरणजीत सिंह पिता नवरंग सिंह सिख निवासी लालबाग इन्दौर.	492/1क 2	1.420	0	1.420	0.815	0	0.815
47	सोहनसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत निवासी ग्राम सुलावड.	508/1	1.876	0	1.876	0.290	0	0.290
48	भोलाराम पिता पीरा बलाई निवासी ग्राम सुलावड.	507/1	1.045	0	1.045	0.390	0	0.390
49	भोलाराम पिता पीरा बलाई निवासी ग्राम सुलावड.	494/1	0.918	0	0.918	0.010	0	0.010
50	बलवंतसिंह, मेहरबानसिंह, जीवनसिंह, अर्जुनसिंह, रेशमबाई, लीलाबाई, शैतानबाई, पिता रामसिंह, जीवनसिंह, जमनाबाई, विधवा निर्भय, अर्जुन पिता नवलसिंह, गुड्डी बेवा नवलसिंह, जाति राजपूत निवासी देह भूमिस्वामी.	504/1	1.045	0	1.045	0.550	0	0.550
51	बद्रीलाल पिता बलवंतसिंह राजपूत निवासी ग्राम सुलावड.	503/3	0.822	0	0.822	0.165	0	0.165

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	अयोध्याबाई पति बद्रीलाल राजपूत निवासी ग्राम सुलावड.	503/1	0.822	0	0.822	0.325	0	0.325
53	उमराव पिता रामाजी रघुवंशी निवासी ग्राम सुलावड.	499/3	1.672	0	1.672	0.100	0	0.100
54	समन्दरसिंह पिता अमरसिंह राजपूत निवासी ग्राम सुलावड.	500	0.606	0	0.606	0.310	0	0.310
55	मीराबाई पति मोहनसिंह रघुवंशी निवासी ग्राम सुलावड.	50/1/1/ग/3	1.354	0	1.354	0.200	0	0.200
56	मोहन पिता जादूसिंह निवासी ग्राम सुलावड.	50/1/1/ग/2	1.355	0	1.355	0.200	0	0.200
57	मुंशी पिता सूलेमान खान निवासी ग्राम सुलावड.	50/1/5	0.000	0.627	0.627	0.000	0.100	0.100
58	साब्बीर पिता सूलेमान खान निवासी ग्राम सुलावड.	50/1/4	0.000	0.627	0.627	0.000	0.300	0.300
59	अकबर पिता सूलेमान खान निवासी ग्राम सुलावड.	50/1/3	0.000	0.627	0.627	0.000	0.075	0.075
60	शीलूबाई पति लाखनसिंह जाट निवासी ग्राम सुलावड.	50/1/क/2	1.981	0	1.981	0.005	0	0.005
61	राजूबाई पति सत्यानारायण नाई निवासी ग्राम सुलावड़.	50/1/2/क/1/2	0.554	0	0.554	0.263	0	0.263
62	जादूसिंह पिता हीरालाल रघुवंशी निवासी ग्राम सुलावड.	50/1/6	0.628	0	0.628	0.070	0	0.070
63	मदन पिता रामसिंह निवासी ग्राम सुलावड.	66/1	0.015	0	0.015	0.015	0	0.015
64	निर्भयसिंह, विक्रमसिंह, पोपसिंह भारतसिंह पिता लालसिंह आदि राजपूत.	50/1/क/5	2.090	0	2.090	0.232	0	0.232
		योग . .	52.417	4.712	57.129	10.076	1.755	11.831

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 25 जुलाई 2016

क्र. भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. 7097-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में बांकपुरा तालाब की दायीं नहर निर्माण तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम कानड़ियाखेड़ी, गुलजारापुरा एवं समेली तथा बायीं नहर निर्माण में अर्जित की जा रही भूमि ग्राम कालाकोट, जगनियापुरा एवं बांकपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि बांकपुरा तालाब की नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची (1)

बांकपुरा तालाब परियोजना की दायीं एवं बायीं नहर में प्रभावित भूमि, तहसील—ब्यावरा

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दायीं नहर में प्रभावित भूमि				
1	कानड़ियाखेड़ी	0.200	0.210	0.410
2	गुलजारपुरा	0.000	1.221	1.221
3	समेली	0.000	1.470	1.470
बांयी नहर में प्रभावित भूमि				
4	कालाकोट	0.000	0.460	0.460
5	जगनियापुरा	0.000	1.639	1.639
6	बांकपुरा	0.000	3.543	3.543
	कुल योग . .	0.200	8.543	8.743

अनुसूची (2)

बांकपुरा तालाब परियोजना की दायीं एवं बायीं नहर में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम कानड़ियाखेड़ी

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रोडजी पिता मांगीलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमिस्वामी.	76/2/1	0.843	0.000	0.070	0.070
	योग : 1		0.843	0.000	0.070	0.070

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	मिश्री पिता मांगीलाल जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.	76/2/2	0.843	0.000	0.070	0.070
		योग : 1	0.843	0.000	0.070	0.070
3	शम्भू पिता मांगीलाल जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.	76/2/3	0.843	0.000	0.070	0.070
		योग : 1	0.843	0.000	0.070	0.070
4	हजारी पिता धूल्या जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.	76/4	2.529	0.200	0.000	0.200
		योग : 1	2.529	0.200	0.000	0.200
	योग ग्राम कानड़ियाखेड़ी	4	5.058	0.200	0.210	0.410

बांकपुरा तालाब परियोजना की दायीं एवं बायीं नहर में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम गुलजारपुरा

1	कंवरलाल पिता बागजी जाति सौंधिया नि. ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी.	20/1/1	0.654	0.000	0.200	0.200
		6/1	0.442	0.000	0.072	0.072
		योग : 2	1.096	0.000	0.272	0.272
2	हरिसिंह पिता कुमेरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी.	18/1/1	0.549	0.000	0.070	0.070
		6/3	0.443	0.000	0.072	0.072
		योग : 2	0.992	0.000	0.142	0.142
3	बनेसिंह पिता खीमजी जाति सौंधिया नि. ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी.	18/1/2	0.237	0.000	0.070	0.070
		6/6	0.295	0.000	0.040	0.040
		3/43	0.316	0.000	0.120	0.120
		योग : 3	0.848	0.000	0.230	0.230
4	भंवरलाल पिता खीमजी जाति सौंधिया नि. ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी.	18/1/3	0.177	0.000	0.070	0.070
		6/7	0.295	0.000	0.040	0.040
		6/2	0.252	0.000	0.070	0.070
		योग : 3	0.724	0.000	0.180	0.180
5	मोगजी पिता खीमजी जाति सौंधिया नि. ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी.	18/1/4	0.346	0.000	0.070	0.070
		6/9	0.295	0.000	0.070	0.070
		योग : 2	0.641	0.000	0.140	0.140
6	गजराजसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि. ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी.	6/8	0.886	0.000	0.125	0.125
		योग : 1	0.886	0.000	0.125	0.125

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	परथीसिंह पिता देवीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी.	6/5	0.443	0.000	0.060	0.060
	योग : 1		0.443	0.000	0.060	0.060
8	धीरपसिंह पिता देवीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी.	6/4	0.443	0.000	0.072	0.072
	योग : 1		0.443	0.000	0.072	0.072
	महायोग . . 15		6.073	0.000	1.221	1.221

बांकपुरा तालाब परियोजना की दायीं एवं बायीं नहर में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम समेली

1	ममताबाई पति उमरावसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	74/5	2.023	0.000	0.144	0.144
	योग : 1		2.023	0.000	0.144	0.144
2	सुन्दरबाई बैवा भोनजी सौरमबाई धीरपबाई पुत्री भोनीजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	75	0.316	0.000	0.136	0.136
	योग : 1		0.316	0.000	0.136	0.136
3	मांगीलाल पिता देवजी जाति जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	84/2	0.358	0.000	0.112	0.112
		116/85/1	0.105	0.000	0.080	0.080
	योग : 2		0.463	0.000	0.192	0.192
4	बापूलाल, प्रेमसिंह, नारायणसिंह मोगजी पिता नारू जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	84/1	0.211	0.000	0.080	0.080
		116/85/3	0.253	0.000	0.096	0096
	योग : 2		0.464	0.000	0.176	0.176
5	दरयावसिंह, लक्ष्मणसिंह, हरीसिंह पिता दौलजी भंवरीबाई बैवा दौलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	116/85/2	0.464	0.000	0.112	0.112
	योग : 1		0.464	0.000	0.112	0.112
6	शैतानबाई पति मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	117/85	0.506	0.000	0.130	0.130
	योग : 1		0.506	0.000	0.130	0.130
7	कालू पिता मोहनलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	101/5	2.529	0.000	0.400	0.400
	योग : 1		2.529	0.000	0.400	0.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	बीरम, मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	101/8/1	1.038	0.000	0.180	0.180
	योग : 1		1.038	0.000	0.180	0.180
	महायोग . . 10		7.803	0.000	1.470	1.470

बांकपुरा तालाब परियोजना की दायीं एवं बायीं नहर में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम कालाकोट

1	किशनलाल, दौलजी, भगवानसिंह, लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल, शांतिबाई पुत्री रामलाल जाति सौंधिया.	3/5	3.920	0.000	0.160	0.160
	योग : 1		3.920	0.000	0.160	0.160
2	गणपत पिता भोना जाति बृजा नि. मोई.	3/13	2.253	0.000	0.140	0.140
	योग : 1		2.253	0.000	0.140	0.140
3	केशरसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	12/6	0.405	0.000	0.160	0.160
	योग : 1		0.405	0.000	0.160	0.160
	महायोग . . 3		6.578	0.000	0.460	0.460

बांकपुरा तालाब परियोजना की दायीं एवं बायीं नहर में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम जगनियापुरा

1	कंवरलाल, कानजी पिता मावसिंह, हरिसिंह पिता मोहनलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	208/1	1.012	0.000	0.084	0.084
	योग : 1		1.012	0.000	0.084	0.084
2	रूपसिंह पिता भावसिंह, मोरसिंह ना. बा. पिता भावसिंह पिता मेहताब लालसिंह, अमरसिंह पिता मांगीलाल हि. 33 पैसा. मोरसिंह ना. बा. इंदरसिंह ना. बा. पिता मांगीलाल पिता देवजी हि. 17 पैसा. किशनलाल पिता सवला हि. 17 पैसा. हरिसिंह पिता मोहनलाल हि. 7 पैसा, मांगीलाल पिता देवसिंह हि. 26 पैसा जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	208/2 211/8 274/211 209	0.278 0.190 0.632 1.290	0.000 0.000 0.000 0.000	0.096 0.048 0.045 0.168	0.096 0.048 0.045 0.168
	योग : 4		2.390	0.000	0.357	0.357
3	मोहनलाल पिता मेहताब जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	211/24	0.253	0.000	0.202	0.202
	योग : 1		0.253	0.000	0.202	0.202

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	मांगीलाल पिता दोला हि. 33 पै. नारायणसिंह पिता दौला, कमलाबाई पुत्री दौला हि. 60 पैसा रूपसिंह पिता भावसिंह, लालसिंह पिता मांगीलाल हि. 7 पैसा जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	211/18	0.379	0.000	0.076	0.076
		योग : 1	0.379	0.000	0.076	0.076
5	प्यारजी पिता उंकार जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	211/19	0.063	0.000	0.036	0.036
		योग : 1	0.063	0.000	0.036	0.036
6	कंवरलाल पिता मानसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी.	50/1	0.199	0.000	0.199	0.199
		योग : 1	0.199	0.000	0.199	0.199
7	बजेसिंह, मोगजी पिता धूलजी, नाथीबाई बैवा धूलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी.	50/2	0.029	0.000	0.029	0.029
		योग : 1	0.029	0.000	0.029	0.029
8	कुमेरसिंह पिता मांगीलाल हि. 4 पैसा, धीरपसिंह पिता गोपीलाल हि. 5 पैसा, लालजी पिता प्यारजी हि. 3 पैसा, मांगीलाल पिता देवजी हि. 17 पैसा, प्यारजी अनारसिंह पिता उंकार हि. 17 पैसा, मांगीलाल पिता केशरसिंह, मांगीलाल पिता मोहनलाल हि. 37 पैसा, कमलसिंह पिता सजनसिंह हि. 3 पैसा, भावसिंह पिता मेहताब हि. 7 पैसा बिरमसिंह, बनेसिंह, छोटेलाल पिता बिहारीलाल हि. 7 पैसा जाति सौंधिया नि. ग्राम.	60	0.557	0.000	0.212	0.212
		189	0.632	0.000	0.196	0.196
		योग : 2	1.189	0.000	0.408	0.408
9	मानसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	19/2	0.490	0.000	0.208	0.208
		योग : 1	0.490	0.000	0.208	0.208
10	रामकरण पिता खूमराज, नवलबाई बैवा खूमराज जाति सौंधिया.	229/43/1/2	0.040	0.000	0.040	0.040
		योग : 1	0.040	0.000	0.040	0.040
		महायोग . . 14	6.044	0.000	1.639	1.639

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	बांकपुरा तालाब परियोजना की दायीं एवं बायीं नहर में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम बांकपुरा					
1	मेहताबबाई बेवा गोपीलाल जाति चमार नि. ग्राम दौलतारिया भूमि स्वामी.	53/4	1.130	0.000	0.025	0.025
	योग : 1		1.130	0.000	0.025	0.025
2	रामकरण ना. बा. पिता खूमराज, ललताबाई, धापूबाई ना. बा. पुत्री खुमराज सर. माता नवलबाई बैवा खुमराज, मांगीलाल, धीरपसिंह, कुमेरसिंह पिता गोपीलाल हि. 3 पैसा, नरभेसिंह पिता लक्ष्मण हि. 3 पैसा, कंवरलाल पिता बिहारीलाल हि. 8 पैसा, फतेसिंह, मांगजी पिता धूलजी, नाथीबाई बैवा धूलजी हि. 1 पैसा, न्यालीबाई पति रतनसिंह हि. 3 पैसा, पूरजी पिता नाथू हि. 4 पैसा, रतनसिंह पिता भेरू हि. 4 पैसा, बापू, दरियावसिंह, मांगीलाल पिता रूघनाथ हि. 4 पैसा, मोहनलाल पिता मेहताब हि. 14 पैसा भावसिंह पिता मेहताब हि. 18 पैसा सुंदरबाई, घीसाबाई हि. 10 पैसा, फतेसिंह, नारू, मांगीलाल पिता बिहारीलाल हि. 4 पैसा जुझारसिंह पिता छीतालाल, जगन्नाथ पिता कालू हि. 4 पैसा पप्पूसिंह पिता भावसिंह हि. 7 पैसा जाति सौंधिया नि. ग्राम जगन्यापुरा.	54	2.074	0.000	0.290	0.290
		55/1	6.260	0.000	0.370	0.370
	योग : 2		8.334	0.000	0.660	0.660
3	गंगाराम पिता हरिसिंह जाति भील नि. ग्राम भू-स्वामी.	60/1/2	1.000	0.000	0.110	0.110
	योग : 1		1.000	0.000	0.110	0.110
4	रोड़जी पिता प्रभुलाल जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.	60/1/3	1.000	0.000	0.100	0.100
	योग : 1		1.000	0.000	0.100	0.100
5	बजेसिंह पिता मेहताब, रूपाबाई पत्नि बजेसिंह जाति चमार नि. ग्राम भूमिस्वामी.	60/5	1.420	0.000	0.025	0.025
	योग : 1		1.420	0.000	0.025	0.025
6	नरभा पिता बक्सू जाति चमार नि. ग्राम भूमिस्वामी.	58/3	1.012	0.000	0.080	0.080
	योग : 1		1.012	0.000	0.080	0.080

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	भागचन्द पिता छीतर जाति चमार नि. ग्राम भूमिस्वामी.	58/4	0.759	0.000	0.100	0.100
	योग : 1		0.759	0.000	0.100	0.100
8	कालू, रामचरण हिन्दू सिंह, पिता मांगीलाल, कालीबाई बेवा मांगीलाल हि. 50 पै. रसूबाई बेवा अमरा हि. 50 पै. जाति चमार नि. ग्राम भूमिस्वामी.	63	0.430	0.000	0.132	0.132
	योग : 1		0.430	0.000	0.132	0.132
9	गिरधारी पिता सालगराम, सूरजबाई पति गिरधारी जाति चमार नि. ग्राम दौलतारिया.	62/9	1.130	0.000	0.118	0.118
	योग : 1		1.130	0.000	0.118	0.118
10	गोकल पिता रतनलाल, ममताबाई पति गोकल जाति बलाई नि. ग्राम दौलतारिया भू-स्वामी.	62/10	1.130	0.000	0.200	0.200
	योग : 1		1.130	0.000	0.200	0.200
11	फूलजी पिता गुलाब जाति सौंधिया नि. भूमिस्वामी.	51/1/1	0.101	0.000	0.035	0.035
		50/1/1	0.418	0.000	0.200	0.200
	योग : 2		0.519	0.000	0.235	0.235
12	देवीसिंह, भंवरलाल पिता कालू जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमिस्वामी.	51/1/2	0.101	0.000	0.035	0.035
	योग : 1		0.101	0.000	0.035	0.035
13	पवन पिता लक्ष्मीनारायण, हरिशंकर पिता नारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम ब्यावरा.	24/4/1	1.265	0.000	0.248	0.248
	योग : 1		1.265	0.000	0.248	0.248
14	अमरसिंह पिता धूल्या जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	47/4	0.509	0.000	0.051	0.051
	योग : 1		0.509	0.000	0.051	0.051
15	राधेश्याम पिता रामसिंह, रामप्यारीबाई, पत्नी राधेश्याम जाति चमार नि. ग्राम भूमिस्वामी.	29	0.898	0.000	0.277	0.277
	योग : 1		898	0.000	0.277	0.277
16	भेरूलाल पिता रामलाल, रेशमबाई पत्नि रामलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि-स्वामी	22/17	1.130	0.000	0.120	0.120
	योग : 1		1.130	0.000	0.120	0.120
17	रामलाल पिता देवाजी संपतबाई पत्नि रामलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमिस्वामी.	22/18	1.130	0.000	0.165	0.165
	योग : 1		1.130	0.000	0.165	0.165

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	बजेसिंह पिता भंवरलाल जाति संज्ञैंधिया नि. ग्राम भूमिस्वामी.	266/22/1	0.278	0.000	0.120	0.120
		योग : 1	0.278	0.000	0.120	0.120
19	रामबाबू पिता बद्रीलाल, रामकलबाई पति रामबाबू जाति चमार नि. दौलतारिया	22/14	1.130	0.000	0.032	0.032
		योग : 1	1.130	0.000	0.032	0.032
20	कालू पिता मोती हि. 67 पै. झुझारसिंह कमलसिंह पिता नारू, ईमरतबाई बेवा नारू हि. 17 पै. रोड़जी ना. बा. पिता देवीसिंह सर. पिता स्वयं देवीसिंह पिता कालू हि. 16 पै. जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	227/22	0.506	0.000	0.072	0.072
		योग : 1	0.506	0.000	0.072	0.072
21	घीसालाल पिता पर्वतसिंह, भूलीबाई पत्नि घीसालाल जाति चमार नि. दौलतारिया भूमिस्वामी.	22/12	1.130	0.000	0.072	0.072
		योग : 1	1.130	0.000	0.072	0.072
22	किशनलाल, पन्नालाल, गंगाबाई पति किशन जाति चमार नि. दौलतारिया.	22/8	1.130	0.000	0.110	0.110
		योग : 1	1.130	0.000	0.110	0.110
23	चैनसिंह पिता गेंदाजी राजबाई पति चैनसिंह जाति चमार नि. ग्राम दौलतारिया.	22/5	1.130	0.000	0.228	0.288
		योग : 1	1.130	0.000	0.228	0.228
24	गोपाल पिता गेंदाजी, सुनगबाई पति गोपाल जाति चमार नि. दौलतारिया.	22/6	1.130	0.000	0.228	0.228
		योग : 1	1.130	0.000	0.228	0.228
		महायोग . . 26	29.331	0.000	3.543	3.543

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 30 जुलाई 2016

प्र. क्र. 13-अ-82-2014-15.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: अनुसूची में अंकित भूमिधारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक 12-2-2014-सात-2-ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका (1) एवं (2) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014-सात-2ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

1. परियोजना का नाम:—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

2. भूमि का विवरण:—ग्राम खरों, तहसील—खरगापुर, जिला—टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—1.662 हेक्टेयर.

अनुसूची

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रागी जयराम तनय अजुद्दी मु. प्यारी बाई बेवा अजुद्धी जाति लोधी पता नि. ग्रामी बराबर भाग भूमिस्वमी.	1453	0.073	0.004
		1452	0.769	0.280
		1450	0.316	0.150
		1451	0.308	0.048
		1448	1.550	0.370
		योग :	3.016	0.852
2	सीताराम अनंतराम, हरीराम तनय नथुवा जाति लोधी नि. ग्रामी.	1444/1	1.210	0.150
		योग :	1.210	0.150
3	सरजूबाई पत्नि घसीटा जाति लोधी नि. ग्रामी भू-राजस्व 3.16	1444/2	1.307	0.660
		योग :	1.307	0.660
		कुल योग :	5.533	1.662

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 जुलाई 2016

प. क्र. 1819-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत वअधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन कववा वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	मगराज	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1821-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	पगरा	15.200	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1823-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के

बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	वहेलिया भाट	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1825-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बछरा	15.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1827-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	करही लामी	15.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग ,जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1829-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	भुन्डहा 479	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1831-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	जोकिहा 211	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1833-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	धौरहरा-304	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1835-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	सिगटी 590	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1837-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	मिर्चवार 5	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1839-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	खडडा 116	7.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1841-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर की वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	रेरूआ	1.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1843-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	पलिया त्रिवेणी-594	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1845-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	ताला	50.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1847-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	विधुईकला	6.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1849-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रतहरा 540	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1851-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बड़ागांव 411	16.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1853-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	दादर 264	1.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1855-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	खजुहा 119	11.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1857-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	रीठी 554	7.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1859-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	गोरगी 163	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1861-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	महसांव 501	10.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1863-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	रकरिया 542	6.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1865-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	टीकर-227	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1867-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमलिकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	नवागांव 314	11.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमलिकी वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1869-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमलिकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	भांटी 472	8.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमलिकी वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1871-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बिहरिया 438	6.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1873-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	लोही 575	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1875-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	सगरा-579	10.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1877-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	पुरैना 380	6.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1879-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	नैकिन-322	7.550	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1881-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	वेलहा-449	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1883-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	गड़रिया-154	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1885-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	भौवार	10.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1887-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक

नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पतेला-343	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1889-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर की वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	रघुराजगढ़ 574	1.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1891-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	पड़रिया 359	6.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1893-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रतहरी 541	7.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1895-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	कछिगवां 79	6.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1897-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	माजन 526	6.600	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 एवं सबमाइनर के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1899-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पलिया 351	6.800	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1901-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पथरहा-357	13.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1903-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	भमरा-468	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1905-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	अमवा-9	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 10 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1907-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	ढ़ाढ़र-219	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1909-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सोनारूपा 626	6.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 एवं सबमाइनर के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1911-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पिपरी-372	7.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 एवं सबमाइनर के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1913-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	अमिरती-14	7.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 एवं सबमाइनर के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1915-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पलिया-349	3.800	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1917-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	भोथी-481	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 8 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1919-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सोनारूपा-627	4.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1921-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	दुअरा-273	5.800	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 11 एवं 12 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1923-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	नौवा-275	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1925-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	रौरा-563	12.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1927-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	जिउला-206	12.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1929-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	कोर्लेया 107	6.400	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1931-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	पहडिया 365	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1933-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	रायपुर 549	15.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1935-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	अमिलिया 16	9.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1937-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनु,सूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	महसुआ 515	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1939-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	बक्छेरा 405	7.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1941-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	तमहा 256	5.600	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1943-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	खरहरी 125	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1945-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	खजुआवन	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1947-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	चोरगढी 188	6.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1949-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के एवं माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	कोष्टा 103	10.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1951-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	महसुआ 517	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1953-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)

उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	बरहदी 420	15.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1955-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	नवागांव ढ़ाखरा 313	6.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 एवं सबमाइनर के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1957-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	कोलगढ़ 110	7.800	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के नहर निर्माण हेतु.

रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्र. 1973-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	पौंइधा खुर्द	3.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित पर सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	3.50		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1975-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	डगडीहा	1.25	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित पर सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	1.25		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1977-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	कोठरा	1.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित पर सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	1.50		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1979-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बारी कला	3.750	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित पर सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	3.750		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1981-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बराज कोठार	2.500	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	2.500		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1983-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बरा	0.60	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	0.60		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1985-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	पोंइधा कला	1.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	1.50		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1987-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	कुंआ	3.25	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	3.25		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1989-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	मझगवां	2.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	2.00		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1991-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	खम्हरिया	4.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	4.50		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1993-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों के इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	पासी	3.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	3.75		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1995-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों के इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	पुरैनी	0.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	0.75		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1997-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों के इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बैलिहा	0.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित पर सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	0.40		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1999-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों के इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	तुर्री	3.25	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर की मझगवॉ शाखा नहर की माइनर एवं सब-माइनर नहर की निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित पर सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
		योग . .	3.25		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त 2016

क्र. 213-भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी द्वारा सारसडोली जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम मेहगवा, तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है. अतः अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के तहत्	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	कुण्डम	मेहगवा	13.68	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, कुण्डम.	सारसडोली जलाशय के शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डोरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 22 अगस्त 2016

प्र. क्र. 4-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	हमीरपुर	1.85	कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया, म. प्र.	दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट सिंचाई योजना की नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 29 जुलाई 2016

प्र. क्र. 041-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—पगरी, प.ह.नं. 17
(घ) क्षेत्रफल—0.64 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
60	0.04	निजी भूमि
61	0.04	निजी भूमि
62	0.01	निजी भूमि
609	0.02	निजी भूमि
610	0.02	निजी भूमि
611	0.01	निजी भूमि
225	0.07	निजी भूमि
285	0.01	निजी भूमि
305	0.03	निजी भूमि
306	0.03	निजी भूमि
308	0.02	निजी भूमि
309	0.02	निजी भूमि
295	0.01	निजी भूमि
294	0.03	निजी भूमि
292/1083	0.04	निजी भूमि
287	0.03	निजी भूमि
293	0.12	निजी भूमि
348/1	0.01	निजी भूमि
374	0.02	निजी भूमि
373	0.02	निजी भूमि
375	0.01	निजी भूमि
409	0.03	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.64	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पगरी तालाब योजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 4 अगस्त 2016

प्र. क्र. 14-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—रीठी
(ग) ग्राम—सैदा, प.ह.नं. 16/28 नं.बं. 404
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.84 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
199	0.20
200	0.06

(1)	(2)
202/1	0.02
204/4	0.17
201	0.21
202/2	0.02
204/2	0.84
205/1	0.09
203/2	0.07
203/1	0.03
204/3	0.17
376	0.52
1221/1	0.07
1221/4	0.09
1221/2	0.07
1221/3	0.21
कुल योग . .	2.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लिपरी तालाब योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी में किया जा सकता है. प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्र. 393-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—गंगवरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.780 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
525/1/1	0.288
525/1/2	0.026
525/1/3	0.025
525/1/4	0.027
525/1/5	0.018
525/1/6	0.013
525/1/7	0.021
524/2	0.052
525/2/1	0.426
525/2/2	0.025
525/2/3	0.026
525/2/4	0.027
525/2/5	0.013
525/2/6	0.013
525/2/7	0.021
525/2/8	0.015
629/1	0.076
630/1	0.098
631/2	0.008
629/2	0.077
630/2	0.098
631/3	0.008
631/1	0.021
629/3	0.077
630/3	0.097
631/4	0.008
632	0.115
633	0.042
641	0.084
634	0.063
635	0.084
636	0.054
640	0.010
679	0.026
843/1	0.244
637	0.031
642/1	0.011
642/2	0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
642/3	0.016	863/3क/3	0.025
642/4	0.009	863/3ख	0.109
642/5	0.009	863/4	0.183
642/6	0.016	863/1ब/1	0.123
735	0.031	863/1ब/2	0.026
736	0.021	863/1ब/3	0.025
739	0.031	863/1ब/4	0.027
740	0.042	863/1ब/5	0.026
741/1	0.121	863/1ब/6	0.008
742	0.052	863/1ब/7	0.008
741/2	0.025	863/1ब/8	0.008
741/3	0.021	863/1ब/9	0.008
741/4	0.021	863/1ब/10	0.008
741/5	0.021	863/1ब/11	0.008
741/6	0.021	863/1ब/12	0.008
741/7	0.021	863/1ब/13	0.008
842/2	0.470	863/1ब/14	0.008
843/2	0.190	863/1ब/15	0.008
843/3	0.141	863/1ब/16	0.008
863/1 अ/1/1	0.042	863/1ब/17	0.013
863/1 अ/1/2	0.009	863/1ब/118	0.022
863/1 अ/1/3	0.009	902/1	0.177
863/1 अ/1/4	0.004	902/2	0.021
863/1 अ/1/5	0.006	902/3	0.021
863/1 अ/1/6	0.004	902/4	0.021
863/1 अ/1/7	0.009	902/5	0.021
863/1 अ/1/8	0.009	928/1क/1/1	0.031
863/1 अ/1/9	0.004	928/1क/1/3	0.027
863/1 अ/2/1	0.008	928/1क/1/2	0.026
863/1 अ/2/2	0.021	928/1क/1/4	0.026
863/2 अ/2/3	0.021	928/1क/1/5	0.027
863/2 अ/2/4	0.007	928/1क/1/6	0.028
863/2 अ/2/5	0.009	928/1क/1/7	0.028
863/2 अ/2/6	0.009	928/1क/1/8	0.018
863/2 अ/2/7	0.009	928/1क/1/9	0.018
863/1 अ/2/8	0.009	928/1क/2/1	0.056
863/2 अ/2/9	0.009	928/4/1	0.021
863/2 अ/2/9	0.009	928/4/2	0.021
863/2 अ/2/10	0.009	928/4/3/1	0.099
863/2ग/1	0.020	928/4/3/2	0.021
863/2ग/2	0.009	928/4/4	0.120
863/2ग/3	0.018	929/1/1	0.198
863/2ग/4	0.009	929/1/2	0.025
863/2ग/5	0.018	929/1/3	0.025
863/2ग/6	0.018	929/1/4	0.025
863/2ग/7	0.018	929/1/5	0.025
863/3क/1	0.058	929/1/6	0.025
863/3क/2	0.026	929/1/7	0.025

(1)	(2)
929/1/8	0.025
929/1/9	0.025
929/1/10	0.025
929/1/11	0.025
929/1/12	0.025
929/1/13	0.025
929/1/14	0.025
929/1/15	0.025
929/1/16	0.025
929/1/17	0.019
929/1/18	0.025
929/2	0.040
933/1	0.052
933/2	0.053
933/3	0.052
935/2	0.104
934	0.585
935/1	0.105
937/1क/1/1	0.120
937/1क/1/2	0.025
937/1क/1/3	0.026
937/1क/1/4	0.025
937/1क/1/5	0.026
937/1क/1/6	0.018
937/1क/3/1	0.133
937/1क/3/2	0.018
937/1क/3/3	0.018
937/1क/3/4	0.018
937/1क/3/5	0.018
937/1क/3/6	0.018
937/1क/3/7	0.018
986	0.052
995	0.136
996	0.042
997/1/1	0.207
997/1/2	0.018
997/1/3	0.026
997/2/2	0.010
997/2/3	0.011
988/1	0.021
1001/1	0.021
1002/1	0.027
1002/2	0.018
1002/3	0.018
998/2	0.018
998/3	0.013
999/1	0.037
1000/1	0.011
999/2	0.021
999/3	0.021
999/4	0.013
1001/2	0.031
1001/1/1	0.034
1001/1/2	0.018
1003	0.042
1014/1	0.010
कुल योग . .	8.780

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2016

नस्ती क्र. 08 एलए.-2016-भू-अर्जन प्र. क्र.-09-अ-82-15-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—जावर
(घ) अर्जित रकबा—1.384 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26/4	0.432
26/7	0.216
26/6	0.216
26/1	0.120
26/3	0.400
कुल योग . .	1.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—तलवडिया स्टेशन के पास ग्राम जावर में उपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण-1) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाती मीणा नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 22 अगस्त 2016

प्र. क्र. 10175-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—बक्साना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.175 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
39	0.012
40	0.374
54/1	0.461
55/1	0.017
54/2	0.298
55/2	0.247
63/1	0.130
71/1	0.225
57	0.010
62	0.500
63/2	0.465
71/2	0.220
70	0.010
75	0.015
202	1.045
382	0.425
84	0.513
85	0.060
86	0.850
101	0.410
102	0.016
129	0.424
132/1	0.230
134/3	0.310
135	0.718
136	0.020
203/1	0.276
205/1	0.234
205/2	0.015
207	0.047
209	0.580
330	0.139
331/1	0.110
375/1	0.245
331/2	0.109
337	0.310
380/3	0.247
383/2	0.296
407/1	0.140
408	0.015
87	0.020
132/2	0.060

(1)	(2)
210/2	0.073
325/2	0.190
328	0.174
340	0.225
339/2	0.222
336	0.083
347/3	0.047
374/2/1	0.390
374/2/2	0.408
380/1	0.060
380/2	0.455
योग . .	13.175

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—"इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10177-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—कुमार कराड़िया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.059 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
110/4	0.135
110/5	0.247
119/1	0.295
112/4	0.055
112/5	0.135
114/1/1	0.180
117	0.202
118/2	0.209
118/3/1	0.105
118/3/2	0.105
151/1	0.125
151/2	0.125
151/3	0.125
150/1	0.420
150/2	0.030
118/4	0.021
113/1	0.244
113/2	0.301
योग . .	3.059

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—"इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10179-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—भिचोली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.515 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
282	0.018
284/1	0.062
284/2	0.245
286/1	0.286

(1)	(2)
293/4	0.065
293/1/1	0.136
293/1/2	0.136
293/2	0.250
293/3	0.190
295/3	0.002
297/1	0.001
295/2	0.160
295/5	0.084
295/6	0.197
302/1/1	0.209
302/1/2	0.110
302/2	0.198
301	0.166
योग . .	2.515

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—"इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्र. 1971-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—भर्जुना खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.416 हेक्टेयर.

आराजी क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
216	0.502
217	0.108
218	0.013
219	0.042
237	0.001
239	0.103
238	0.124
240	0.183
245	0.067
480	0.035
247	0.535
258	0.023
254	0.680
योग . .	2.416

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मझगवां शाखा नहर फेज (प्रथम) नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 अगस्त 2016

पत्र क्र. 2053-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—बेला 394

(घ) क्षेत्रफल—1.895 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
638	0.120

(1)	(2)
639	0.296
640	0.126
673	1.353
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.895

ब. म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.000
अ + ब का योग . .	1.895

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—''बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2055-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज
(ग) ग्राम—मिसिरगवां 850
(घ) क्षेत्रफल—1.584 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
208	0.650
230	0.047
220	0.102
228	0.054
227	0.126
223	0.179
221	0.034
222	0.284
224	0.083
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.559

(1)	(2)
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
334/182	0.025
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग .	0.025
अ + ब का योग . .	1.584

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—''बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2057-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—खरहिया
(घ) क्षेत्रफल—0.245 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
144	0.109
143	0.101
142	0.035
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.245

ब. म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.000
अ + ब का योग . .	0.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—''बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2059-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—रूहिया
(घ) क्षेत्रफल—4.559 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
232/624	0.076
228	0.013
229	0.184
226	0.208
225	0.112
224	0.006
219	0.032
220	0.137
221	0.011
218	0.167
217	0.021
132	0.049
130	0.056
128, 133	0.072
129	0.010
84	0.081
86	0.052
87	0.011
88	0.012
85	0.024
83	0.124
82	0.101
81	0.097
80, 67	0.203
66	0.035
65	0.004
301	0.365
305	0.157
(1)	(2)
315	0.145
317	0.020
316	0.035
323/608	0.007
396	0.002
398	0.021
400	0.001
398/614	0.081
399	0.054
397	0.054
403	0.029
395	0.156
408	0.042
407	0.034
409	0.079
411	0.013
422	0.067
421	0.086
420	0.159
434	0.001
436	0.017
417	0.092
443	0.042
479	0.337
478	0.053
477	0.210
480	0.029
482	0.216
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.502
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
131	0.032
435	0.024
230	0.001
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग .	0.057
अ + ब का योग . .	4.559

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 26 अगस्त 2016

प्र. क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-01-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मुरैना
(ख) तहसील—जौरा
(ग) ग्राम—गुढा आसन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—47.54 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टे. में) (2)
443	0.41
444	2.60
445	0.12
445/714	0.02
446	0.15
447	0.14
448	0.08
449	0.32
450	0.30
452	0.93
456	0.78
457	0.05
458	1.01
459	0.66
461	0.54
462	0.11
464	0.27
469	0.97
471	0.15
472	0.26
473	0.27
476 मि 1	4.00
478	0.12
516	0.94
522	0.04
523	0.04
524	0.07
525	0.02
527	0.81
529	0.78
530/1	1.60
531	0.52
566	0.88
567	1.75
618	4.23
619	0.03
620	0.42
621/1	0.21
621/2	0.84
622	0.84
623	0.16
624	0.84
625	1.92
626 मि 1	0.17
626 मि. 2	0.17
628	0.04
630	0.05
631	0.05
632	0.13
633	0.12
634	0.29
635	0.21
636 मि. 1	0.14
636 मि. 2	0.14
637 मि. 1	0.18
637 मि. 2	0.19
638	0.23
639	0.38
640 मि. 1	0.05
640 मि. 2	0.32
641	0.22

(1)	(2)
643	0.47
644	0.17
645	0.46
646	0.25
647	0.24
648	0.65
649	0.10
650	0.08
651	0.17
652	0.34
653	0.33
654	0.02
655	0.29
656	0.03
657	0.03
658	0.03
659	0.05
660	0.02
661	0.03
663	0.08
664	0.22
665	0.28
666	0.16
667	0.15
668	0.08
669	0.15
670	0.05
671	0.25
672	0.27
673	0.02
675	0.18
678	0.40
680	0.03
682	0.07
684	0.42
685	0.23
686	0.28
687	0.94
688	0.64
689	0.05
690	0.06
691	0.22
692	0.54
693	0.21
694	0.15
696	1.52
697	0.72
698	0.64
699	0.35
668/708	0.10
671/709	0.04
योग . .	47.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जौरा तहसील में ग्राम धमकन के नजदीक आसन नदी पर आसन बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, जौरा, जिला मुरैना के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जल संसाधन संभाग, जौरा, जिला मुरैना के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-02-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मुरैना
(ख) तहसील—जौरा
(ग) ग्राम—धमकन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.82 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
816	1.30
817	0.47
818	1.04

(1)	(2)
823	1.50
824	0.26
825	0.42
828	1.55
829	0.45
831	0.94
1105	0.90
1106	0.18
1107	0.18
1108	0.76
1109	1.02
1110	0.33
1112	0.35
1114	0.42
1115	0.30
1116	0.26
1117	0.24
1118	0.06
1119	0.05
1120	0.12
1121	0.11
1122	0.03
1123	0.22
1124	0.03
1125	0.05
1126	0.03
1127	0.89
1128	0.10
1129	0.09
1130	0.01
1132	0.05
1152	0.10
1153	0.42
1163/2	0.10
1182	0.27
1183	0.22
1184	0.17
1185	0.06
1186	0.05
1187	0.38
1188	0.22
1189	0.06
1193	0.16
1194	0.14
1195	0.07
1197	0.22
1198	0.20
1199	0.04
1200	0.01
1201	0.04
1202	0.24
1203	0.13
1204	0.12
1205	0.25
1206	0.40
1207	0.16
1208	0.20
1209	0.18
1212	0.08
1213	0.72
1214	0.03
1216	0.07
1217	0.03
1218	0.07
1219	0.01
1220	0.25
1221	0.05
1223	0.16
1224	0.06
1226	0.32
1227	0.15
1228	0.23
1230	0.21
1231	0.67
1233	0.35
1234	0.23
1235	0.25
1237	0.20
1239	0.19

(1)	(2)
1241	0.35
1242	0.12
1243	0.12
1247	0.19
1248	0.26
1249	0.02
1250	0.28
1251	0.32
1252	0.08
1254	0.09
1255	0.08
1256	0.05
1257	0.04
1258	0.05
1259	0.05
1260	0.04
1261	0.08
1262	0.16
1263	0.21
1264	0.11
1265	0.10
1266	0.20
1267	0.17
योग . .	26.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जौरा तहसील में ग्राम धमकन के नजदीक आसन नदी पर आसन बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, जौरा, जिला मुरैना के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जल संसाधन संभाग, जौरा, जिला मुरैना के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-03-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मुरैना

(ख) तहसील—जौरा

(ग) ग्राम—घूघस

(घ) लगभग क्षेत्रफल—23.258 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
149/1	1.045
154	0.199
155	0.042
156 मि 1	1.463
156 मि. 2	2.006
158/1	0.181
159	0.031
160	0.042
161	0.052
162 मि 1	0.136
162 मि 2	0.136
162 मि 3	0.136
181	0.031
182	0.178
184	0.230
185	0.146
186	0.031
187	0.266
188	0.100
189	0.094
190	0.105
191	0.146
192	0.125
193	0.084
194	0.219
195	0.219
196	0.010
197	0.073
198	0.105
199	0.157
201 मि. 1	0.021
201 मि. 2	0.021
201 मि. 3	0.021
201 मि. 4	0.021
202	0.115

(1)	(2)
203	0.12
204	0.24
205	0.29
206	0.387
207	0.084
209	0.397
219	0.293
227	0.115
230	0.219
231	0.219
232	0.439
233	0.397
234	0.136
235	0.282
236	0.209
237	0.418
238	0.01
239	0.784
240	0.084
241	0.240
242	0.261
243	0.073
245	0.178
246	0.157
248	0.303
249	0.314
250	0.303
251	0.376
252	0.251
253	0.230
255/1	0.125
255/2	0.105
256/1	0.177
256/2	0.178
257	0.010
258	0.125
259	0.084
260	0.031
262	0.031
263	0.439
264	0.637
265/1/1	0.376
265/1/2	0.376
265/2	0.084
265/4	0.261
265/6	0.136
265/7	0.063
265/8	0.084
265/9	0.094
265/10	0.314
265/11	0.021
265/12	0.031
265/13 मि.	0.115
265/13 मि. 2	0.105
265/15	0.355
265/16	0.105
266 मि. 1	0.125
266 मि. 2	0.136
267	0.167
268	0.010
269 मि. 1	0.021
269 मि. 2	0.178
270 मि. 1	0.073
270 मि. 2	0.084
271	0.031
272 मि. 1	0.084
272 मि. 2	0.084
274	0.063
275	0.470
276	0.199
277	1.160
278	0.105
279	0.010
योग . .	23.258

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जौरा तहसील में ग्राम धमकन के नजदीक आसन नदी पर आसन बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, जौरा, जिला मुरैना के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जल संसाधन संभाग, जौरा, जिला मुरैना के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-04-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मुरैना
(ख) तहसील—जौरा
(ग) ग्राम—विरूंगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.63 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
02	0.02
03	0.26
04	0.26
06	0.26
07	0.12
09/1	0.14
09/2	0.50
10/1	0.20
10/2	0.20
12/1	0.28
12/2	0.27
14/1	0.34
14/2	0.17
14/3	0.17
21/1	0.36
21/2	0.57
23	0.12
24	0.11
25	0.21
26	0.22
27	0.39
29	0.12
32/1	0.10
32/2	0.06
32/3	0.05
34/1	0.07
34/2	0.08
37/1	0.22
37/2	0.21
102	0.34
103	0.04
106	0.29
108	0.21
109	0.20
146	0.14
147	0.07
149	0.04
151	0.22
105/1	0.25
105/2	0.25
105/3	0.50
105/4	0.50
105/5	0.50
योग . .	9.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जौरा तहसील में ग्राम धमकन के नजदीक आसन नदी पर आसन बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, जौरा, जिला मुरैना के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जल संसाधन संभाग, जौरा, जिला मुरैना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2016

क्र. 292-स्था.सैट-2016.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित निजी सचिव/अनुभाग अधिकारी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्र. 03(सी)09-14-इक्कीस-ब(एक)-2922, भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2014 द्वारा उन्नयित पद असिस्टेंट रजिस्ट्रार के वेतन बैंड-3, रु. 15,600—39,100+ग्रेड पे रु. 5400 में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है, एवं उन्हें कॉलम नंबर (3) में दर्शित स्थान पर पदस्थ करते हुए, निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो लिखित में अपनी सहमति प्रस्तुत करेंगे कि वे पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है ऐसी स्थिति में उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदस्थापना का स्थान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती बीना पी. बैनर्जी, निजी सचिव, मुख्यपीठ-जबलपुर	मुख्यपीठ-जबलपुर.	उन्नयित असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर.
2.	श्री नितिन धगट, अनुभाग अधिकारी, मुख्यपीठ-जबलपुर.	मुख्यपीठ-जबलपुर.	उन्नयित असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर.

माननीय, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2016

क्र. D-3261-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री देवनारायण पाटिल, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुम्ब न्यायालय, गुना को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 135 दिवस (एक सौ पैंतीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है :—

गणना-पत्रक

1.	श्री देवनारायण पाटिल, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुम्ब न्यायालय, गुना का नियुक्ति दिनांक.	:	3-10-1997
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-5-2016
3.	नियुक्ति दिनांक . . . . से दिनांक 9 मार्च 87 तक कुल सेवा अवधि.	:	लागू नहीं.
4.	दिनांक 3-10-1997 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	18 वर्ष, 07 माह, 28 दिन.
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	निरंक
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	18÷9×15=135 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	135 दिन
8.	**घटाइये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	निरंक
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	135 दिन

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक),

दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्र. B-4021-दो-3-48-2003.—श्री जी. एस. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 17 मई 2016 से दिनांक 27 मई 2016 तक, ग्यारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 1 नवम्बर 2015 से वर्ष 31 अक्टूबर 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-21-ब(एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B-4027-दो-2-43-2013.—श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 16 से 17 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13, 14 एवं 15 अगस्त 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-1720-दो-2-29-2016.—श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 16 से 20 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2016 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-1722-दो-2-19ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 16 से 20 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13, 14 एवं 15 अगस्त 2016 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-1732-दो-2-31-2014.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 25 से 27 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री ए. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-1734-दो-2-46-2015.—श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 1 से 4 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री संजीव श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-1736-दो-2-35-2013.—श्री विनोद भारद्वाज, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 19 से 23 जुलाई 2016 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद भारद्वाज, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युयटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद भारद्वाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-1747-दो-2-46-2015.—श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2016 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2016

क्र. 811-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को उनके कार्य के अतिरिक्त, अनूपपुर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री अजय प्रकाश मिश्र को अनूपपुर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त 2016

क्र. 847-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस एक्ट 1958 (19 सन् 1958) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(ए)6/2016/21-ब(एक)/2988, दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लेखित है. स्तम्भ (2) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ (6) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट

सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ	न्यायालय में बैठने का स्थान
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री कृष्ण दास महार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बालाघाट.	बालाघाट	छतरपुर	छतरपुर	पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में	छतरपुर
2.	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शहडोल.	शहडोल	सिहोरा	जबलपुर	पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.	सिहोरा
3.	कुमारी सरिता वाधवानी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	नरसिंहपुर

क्र. 849-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सचिन शर्मा	उज्जैन	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से कुमारी सरिता वाधवानी के स्थान पर.
2	श्री अनुराग द्विवेदी	दमोह	बालाघाट	बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री कृष्ण दास महार के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	श्री सुनील कुमार मिश्रा	बैरसिया	शहडोल	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास के स्थान पर.
4	श्री अनिल कुमार पाठक	सतना	अलीराजपुर	अलीराजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

टिप्पणी .—आदेश क्रमांक 841/गोपनीय/2016, दिनांक 10 अगस्त 2016, जहां तक इसका संबंध श्री शशि भूषण शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कसरावद, जिला मण्डलेश्वर का, कसरावद, जिला मण्डलेश्वर से अलीराजपुर स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहते.

जबलपुर, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्र. 853-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री देवराज बोहरे, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2016

क्र. 294-स्था. सैट-2016.—श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 16 जुलाई 2016 कुल एक दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थाई रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करतीं रहतीं. चूंकि अवकाश पर गयीं हैं. अतः अवधि दिनांक 16 जुलाई 2016 को मूलभूत नियम 26 (ब)(2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

चन्द्रेश कुमार खरे, रजिस्ट्रार (प्रशासन).